2016 का विधेयक संख्यांक 144

[दि इन्फोर्समेंट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एंड रिकावरी आफ डेब्ट्स लाज एंड मिसलेनियस, प्रोविजंस (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋणवसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993, भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का और संशोधन तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश हैं ।

अध्याय 2

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का संशोधन

दीर्घ शीर्ष का संशोधन ।

2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की दीर्घ शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित दीर्घ शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-- 2002 का 54

"वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हितों के प्रवर्तन को विनियमित करने तथा संपति अधिकारों पर सृजित का केन्द्रीय आंकड़ा आधार तथा उसे संसक्त और उनके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम" ।

संपूर्ण मूल अधिनियम में कतिपय पदों का प्रतिस्थापन ।

3. मूल अधिनियम में,--

(i) "प्रतिभूतिकरण कंपनी", "पुनर्गठन कंपनी", "प्रतिभूतिकरण या पुनर्गठन कंपनी", "प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी", या "प्रतिभूतिकरण कंपनी या कोई पुनर्गठन कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "आस्ति पुनर्गठन कंपनी" शब्द रखे जाएंगे । 2002 का 54

(ii) "प्रतिभूतिकरण कंपनियां या पुनर्गठन कंपनियां" जहां-जहां वे आते हैं,शब्दों के स्थान पर, "आस्ति पुनर्गठन कंपनियां" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,--

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(खक) "आस्ति पुनर्गठन कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कोई कंपनी अभिप्रेत है और आस्ति पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण के कारबार को संचालित करने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा रजिस्ट्रीकृत हैं ।

(ii) खंड (च) "वित्तीय सधमता के संबंध में किसी बैंक या वित्तीय संस्था" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् :--

"या जो ऋण प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से निधि जुटाता है" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (जक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(जक) "ऋण" का वहीं अर्थ होगा जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 2छ में है और जिसके अंतर्गत-- 1993 का 15

(i) संदेय किसी मूर्त आस्तियों को किराए पर देने या वित्तीय पट्टे पर देने या सशर्त विक्रय या कोई अन्य संविदा के अधीन क्रय मूल्य का असंदत्त भाग भी है ;

(ii) ऐसी किसी अमूर्त आस्तियों के किसी अधिकार, हक या हित या किसी अमूर्त आस्ति की अनुज्ञप्ति या समनुदेशन, किसी अमूर्त आस्ति के क्रय मूल्य के किसी असंदत्त भाग के संदाय की बाध्यता को सुरक्षित करना या अमूर्त आस्तियों के अर्जन को किसी उधार लेने वाले को समर्थ बनाने के किसी दायित्व को उपगत करने या प्रत्यय को अन्यथा विस्तारित करने ऐसी आस्ति की अनुज्ञप्ति प्राप्त करना ;';

(iv) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(झक)' "ऋण प्रतिभूतियां" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमन के अनुसरण में सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति अभिप्रेत है ;';

1992 का 15

(v) खंड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ञ) 'व्यतिक्रम' से निम्न अभिप्रेत है,--

(i) किसी उधार लेने वाले द्वारा किसी प्रतिभूत लेनदार को संदेय किसी ऋण या किसी अन्य रकम का असंदाय अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूत लेनदार की लेखा बहियों में ऐसे उधार लेने वाले के खाते को गैर निष्पादनीय आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ; या

(ii) ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में किसी उधार लेने वाले द्वारा डिबेंचर न्यासी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जिसके पक्ष में ऐसी ऋण प्रतिभूतियों के धारक के हित लाभ के लिए प्रतिभूति हित का सृजन किया गया है पर उधार लेने वाले पर नब्बे दिनों की संदाय की मांग की सूचना के आधार तामील होने के पश्चात् भी किसी मूल या उस पर ब्याज असंदत्त है ;"

(vi) खंड (ट) में, "प्रत्यय सुविधा अभिप्रेत है", शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"और जिसके अंतर्गत किसी मूर्त आस्ति को किराए पर लेने या वित्तीय पट्टे या सशक्त विक्रय या कोई अन्य संविदा या समनुदेशन प्राप्त करने या किसी मूर्त आस्ति के अर्जन के प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई गई निधि या प्रतिभूतियों का क्रय भी है ।"

(vii) खंड (ठ) में, उपखंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(Vक) किसी मूर्त संपत्ति में किराए पर देने या वित्तीय पट्टे या सशक्त

विक्रय या कोई अन्य संविदा जो ऐसी आस्ति के क्रय मूल्य के असंदत्त किसी भाग की बाध्यता को सुनिश्चित करता है या ऐसी मूर्त संपत्ति के अर्जन को अन्यथा उधार उपलब्ध कराने या कोई अन्य बाध्यता में फायदाप्रद अधिकार, हक या हित ; या

(Vख) किसी अमूर्त आस्ति पर कोई अधिकार, हित या हक या ऐसी अमूर्त आस्ति की अभिव्यक्ति या समनुदेशन जो ऐसी अमूर्त आस्ति के क्रय मूल्य के असंदत्त भाग के संदाय की बाध्यता को सुनिश्चित करता है या अमूर्त आस्ति के अर्जन को उधार लेने वाले को समर्थ बनाने के लिए उद्भूत कोई बाध्यता या अन्यथा विस्तारित उधार ; या

(viii) खंड (ड) में उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(iiiक) बोर्ड से कोई रजिस्ट्रीकृत डिबेंचर न्यासी और प्रतिभूति ऋण के लिए नियुक्त ;

(iiiख) आस्ति पुनर्गठन कंपनी चाहे वह, यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन के प्रयोजन के लिए सृजित किसी न्यास के लिए कार्य कर रही है या उसका प्रबंध कर रही है ।"

(ix) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

(डक) "वित्तीय पट्टा" से किसी मूर्त आस्ति में किसी परक्राम्य लिखत या परक्राम्य दस्तावेज से भिन्न किसी पट्टा करार के अधीन पट्टा, धारक अभिप्रेत है जिसमें पट्टाधारक पट्टे की समाप्ति पर आस्तियों के सहमत या अवशिष्ट मूल्य संदाय पर आस्ति का स्वामी हो जाता है ;

(x) खंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(ढक) "परक्राम्य दस्तावेज" से कोई दस्तावेज जिसमें किसी मूर्त आस्ति के प्रदाय के किसी अधिकार में सम्मिलित है और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परक्राम्यता के लिए अपेक्षित समाधान, जिसके अंतर्गत कोई भांडागारण रसीद और कोई वहन पत्र भी है, समाधान हो जाता है ;";

(xi) उपधारा (1) के खंड (प) में "उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"या समय-समय पर बोर्ड के परामर्श से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट गैर संस्थागत विनिधानकर्ता का कोई अन्य प्रवर्ग भी है ।"

(xii) उपधारा (1) के खंड (फ) का लोप किया जाए ।

(xiii) उपधारा (1) के खंड (यक) का लोप किया जाए ।

(xiv) खंड (यघ) में,--

(क) उपखंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(झक) ऋण प्रतिभूतियों के लिए किसी कंपनी द्वारा नियुक्ति कोई डिबेंचर न्यासी ; " ;

(ख) उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(iv) भाड़े या वित्तीय पट्टे या सशर्त विक्रय या कोई अन्य संविदा के अधीन दी गई कोई मूर्त संपत्ति पर कोई अधिकार, हक या हित रखने वाला कोई बैंक या वित्तीय संस्थान आस्ति के क्रय मूल्यों के किसी असंदत्त भाग के संदाय की किसी बाध्यता को सुनिश्चित या मूर्त संपत्ति के अर्जन को उधार पर लेने वाले को समर्थ बनाने को उपलब्ध कराई गई उधार या अन्य कोई बाध्यता ; या

(v) किसी अमूर्त आस्ति पर कोई अधिकार, हित या हक रखने वाला कोई बैंक या वित्तीय संस्थान या ऐसी अमूर्त आस्ति की अभिव्यक्ति या समनुदेशन जो किसी अमूर्त आस्ति के क्रय मूल्य के असंदत्त भाग के संदाय की बाध्यता को सुनिश्चित करता है या अमूर्त आस्ति के अर्जन को उधार लेने वाले को समर्थ बनाने के लिए उद्भूत कोई बाध्यता या उपलब्ध कराए गए उधार ।"

(xv) उपधारा (1) के खंड (यच) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(यच) "प्रतिभूति हित" से किसी संपत्ति पर किसी प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में सृजित किसी प्रकार का कोई अधिकार, हक या हित अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत,--

(i) किसी मूर्त संपत्ति पर कोई अधिकार हक या हित किराए पर दी गई या वित्तीय पट्टे, सशर्त विक्रय या किसी अन्य संविदा के अधीन दी गई संपत्ति के स्वामी के रूप में प्रतिभूत लेनदार द्वारा रखी गई किसी मूर्त संपत्ति पर कोई बंधक, भार, आडमान, समनुदेशन या किसी भी प्रकार का कोई अधिकार हक या हित जो मूर्त संपत्ति के अर्जन को उधार देने के लिए समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध आस्ति के क्रय मूल्य के किसी असंगत भाग के संदाय की बाध्यता या उद्भूत कोई बाध्यता या कोई उधार को सुनिश्चित करता है ; या

(ii) किसी अमूर्त आस्ति में ऐसे अधिकार, हक या हित या ऐसी अमूर्त आस्ति की अनुज्ञप्ति जो अमूर्त आस्ति के क्रय मूल्य के किसी संदत्त भाग के संदाय की बाध्यता या अमूर्ति संपत्ति के अर्जन को उधार लेने वाले को सक्षम बनाने को कोई अन्य उद्भूत बाध्यता या उपलब्ध

कराया गया कोई उधार या अमूर्त आस्ति की अनुज्ञप्ति ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिभूति हित के अंतर्गत धारा 31 में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिभूति हित नहीं है ।"

धारा 3 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(i) उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) दो करोड़ रुपए से अन्यून की स्वयं की निधि या ऐसी अन्य रकम जो रिजर्व बैंक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें :"

(ii) उपधारा (3) के खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(च) आस्ति पुनर्गठन कंपनी का कोई प्रायोजक ऐसे व्यक्तियों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसरण में कोई योग्य या उपयुक्त व्यक्ति है ।"

(iii) उपधारा (6) में,--

(क) किसी सारवान परिवर्तन के लिए" शब्दों के पश्चात् "जिसके अंतर्गत आस्ति पुनर्गठन कंपनी के निदेशक बोर्ड के किसी निदेशक या प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भी है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण में, "शेयरों के अंतरण द्वारा या" शब्दों के पश्चात् "शेयर के अंतरण के द्वारा कंपनी में प्रायोजक के परिवर्तन का प्रभाव" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 5 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 5 में,--

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(1क) उपधारा (1) के अधीन आस्ति पुनर्गठन कंपनी के पक्ष में किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय आस्तियों के अर्जन के प्रयोजन के लिए निष्पादित कोई दस्तावेज भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 8च के उपबंधों के अनुसरण में स्टांप ड्यूटी से छूट प्राप्त होगी । 1899 का 2

(1ख) आस्ति पुनर्गठन के प्रयोजन के लिए कोई पुनर्गठन कंपनी किसी बैंक या वित्तीय संस्थान की वित्तीय आस्ति का अर्जन कर सकेगी जहां कोई उधार लेने वाला प्रतिभूत ऋण के संदाय में या उसकी किस्त देने में नियत तारीख को देने में असफल रहता है और ऐसे उधार लेने वाला का खाता अननुपालन के रूप में वर्गीकृत है ।";

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी,

अर्थात् :--

"(2क) यदि बैंक या वित्तीय संस्था किसी मूर्त संपत्ति या अमूर्त आस्ति पर कोई अधिकार, हक या हित रखती है । मूर्त संपत्ति या अमूर्त आस्ति के समनुदेशन या अनुज्ञप्ति के अर्जन को उधार लेने वाले को सक्षम बनाने को आस्ति के क्रय मूल्य के किसी असंदत्त भाग या उद्भूत किसी बाध्यता या अन्यथा उपलब्ध कराए गए उधार के सुनिश्चित संदाय को ऐसे अधिकार, हक या हित ऐसे वित्तीय आस्तियों के अर्जन पर आस्ति पुनर्गठन कंपनी में निहित होगा ।"

(iii) उपधारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(3क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन निष्पादित दस्तावेज के आधार पर, आस्ति पुनर्गठन कंपनी का नाम सभी रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों या पब्लिक अभिलेखों या ऐसे अन्य अभिलेख और किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा या उसके विरुद्ध सभी विधिक कार्रवाईयों में प्रतिस्थापित होंगे और ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी ऐसे बैंक या वित्तीय संस्था के सभी अधिकारों के प्रयोग करने के हकदार होंगे ।" ।

धारा 7 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1) में, "अर्हित संस्थागत क्रेताओं को" शब्दों के पश्चात् "(जनसाधारण को की गई प्रस्थापना से भिन्न)" कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा और इस प्रकार लोप किए गए शब्दों के स्थान पर, "या निवेशकों का ऐसा अन्य कोई प्रवर्ग जो समय-समय पर बोर्ड के परामर्श से रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 9 का नई धारा से प्रतिस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"9. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी आस्ति पुनर्गठन कंपनी के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित एक या अधिक उपायों का उपबंध कर सकेंगी, अर्थात् :--

(क) उधार लेने वाले के कारबार के प्रबंध तंत्र में परिवर्तन या प्रबंध ग्रहण द्वारा उधार लेने वाले के कारबार का उचित प्रबंध ;

(ख) उधार लेने वाले के संपूर्म कारबार या उसके भाग का विक्रय या पट्टा ;

(ग) उधार लेने वाले द्वारा संदेय ऋणों के संदाय का पुनः अनुसूचीकरण ;

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति हित का प्रवर्तन ;

(ङ) उधार लेने वाले द्वारा संदेय शोध्यों का परिनिर्धारण ;

(च) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेना ;

(छ) ऋण के किसी भाग का उधार लेने वाली किसी कंपनी के शेयरों में संपरिवर्तन ।

परंतु ऋण के किसी भाग के उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में संपरिवर्तन को सदैव से ऐसे विधिमान्य समझा जाएगी मानो कि इस खंड के उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हों ।

(2) रिजर्व बैंक, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए नीति का अवधारण करेगा और आवश्यक निर्देश जारी करेगा जिसके अंतर्गत उधार लेने वाले के कारबार के लिए निदेश और प्रभारी फीसें भी है ।

(3) आस्ति पुनर्गठन कंपनी उपधारा (2) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित नीतियों और निदेशों के अनुसरण में उपधारा (1) के अधीन उपाय करेगी ।"।

धारा 12 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(ग) फीस और अन्य प्रभार के लिए विनियम जो किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा अर्जित वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए प्रभारित या उपगत की जा सकेंगी ;

(घ) अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को जारी प्रतिभूति प्राप्तियों के अंतरण के विनियम ।"।

नई धारा 12ख और 12ग और 12घ का अंतःस्थापन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 12क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

शास्तियों के संदाय में असफलता ।

"12ख. (1) रिजर्व बैंक, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, समय-समय पर किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी की लेखा परीक्षा और निरीक्षण करेगा ।

(2) आस्ति पुनर्गठन कंपनी और इसके अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले लेखा परीक्षा व निरीक्षण में सहायता और सहयोग प्रदान करें ।

(3) जहां रिजर्व बैंक का लेखा परीक्षा व निरीक्षण या अन्यथा समाधान हो जाता है कि आस्ति पुनर्गठन कंपनी का कारबार लोक हित या ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों में विनिवेशकर्ता के हितों के लिए हानिकर रूप में संचालित हो रहा है, रिजर्व बैंक किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी के सुरक्षित उचित प्रबंध के लिए--

(क) आस्ति पुनर्गठन कंपनी अध्यक्ष या किसी निदेशक को हटा सकेगा या निदेशक बोर्ड में अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति कर सकेगा ; या

(ख) अपने किसी अधिकारी को ऐसे पुनर्गठन कंपनी के निदेशक बोर्ड के कार्यकरण को संप्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक के रूप में नियुक्ति कर सकेगा ।

(4) आस्ति पुनर्गठन कंपनी के प्रत्येक निदेशक या अन्य अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) के अधीन किसी लेखा परीक्षा या निरीक्षण करने वाले किसी व्यक्ति के सम्मुख अपनी अभिरक्षा के सभी ऐसी लेखा बहियों, लेखें और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करें और आस्ति पुनर्गठन कंपनी के मामलों ऐसे अभिकथन तथा जानकारी उपलब्ध कराए जो ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अपेक्षित हो ।

रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुपालन न करने के लिए शास्तियां ।

12ग. (1) यदि कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी इस अधिनियम की रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अननुपालन के लिए शास्ति धारा 9 या धारा 12 या धारा 12क या किसी अन्य उपबंधों के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहती है, रिजर्व बैंक, ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी पर जो एक करोड़ रुपए या ऐसी असफलता में अंतर्वलित रकम के दोगुने से अनधिक नहीं होगी जहां ऐसी रकम गणना योग्य है, जिसमें जो भी अधिक हों, शास्ति अधिरोपित कर सकेगी और जहां ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम एक बार से अधिक जारी रहता है अतिरिक्त शास्ति जो ऐसे प्रत्येक दिन के पश्चात् जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए तक हो सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति के प्रयोजन के लिए, रिजर्व बैंक आस्ति पुनर्गठन कंपनी पर व्यतिक्रम करने की सूचना तामील कराएगा ऐसी सूचना में शास्ति के रूप में विनिर्दिष्ट रकम के संदाय अपेक्षित है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति उपधारा (2) के अधीन सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी ।

(4) जहां आस्ति पुनर्गठन कंपनी उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर शास्ति के संदाय में असफल रहती है तो रिजर्व बैंक आदेश द्वारा उसके रजिस्ट्रकरण को निरस्त कर सकेगा :

परंतु उसके रजिस्ट्रीकरण निरस्तीकरण से पूर्व आस्ति पुनर्गठन को सुने जाने का अवसर देगा ।

शास्ति का संदाय करने में विफलता ।

12घ. धारा 12ग की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर धारा 12ग की उपधारा (3) के अधीन शास्ति का संदाय करने में असफल रहती है, ऐसी कंपनी और ऐसी कंपनी के अनुसरण में अधिकारी जो धारा 30 के व्यतिक्रम में है, के विरुद्ध शिकायत फाईल हो सकेगी ।

धारा 13 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 13 में,--

(i) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु--

(i) इस उपधारा के अधीन गैर निष्पादनीय आस्ति के रूप में प्रतिभूत ऋण के वर्गीकरण की अपेक्षा किसी उधार लेने वाले को लागू नहीं होगी जो ऋण प्रतिभूतियों को जारी निर्गम द्वारा निधि जुटाई गई है और इस अध्याय के अधीन प्रतिभूत हितों के प्रवर्तन के लिए उपबंध ऐसे उधार लेने वाले पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ;

(ii) व्यतिक्रम की दशा में, डिबेंचर न्यासी, डिबेंचर न्यासी के पक्ष में प्रतिभूति दस्तावेजों के निबंधनों और शर्तों के अनुसरण में ऐसे उपांतरणों, जो आवश्यक समझे जाए, के साथ इस धारा के अधीन यथा उपबंधित समान रीति में व्यतिक्रम की दशा में प्रतिभूतियों के प्रवर्तन का हकदार होगा ।"

(ii) उपधारा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(8) जहां प्रतिभूत लेनदार को शोध्य रकम, उसके द्वारा उपगत सभी, लागत, प्रभारों और व्ययों सहित, प्रतिभूत लेनदार को या पट्टे, समनुदेशन या विक्रय के लिए नियत तारीख के पूर्व किसी समय निविदत्त कर दिया जाता है,--

(i) प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत आस्ति को किराए पर देने, समनुदेशन करने या विक्रय नहीं किया जाएगा ; और

(ii) इस उपधारा के अधीन आस्तियों के पट्टे या समनुदेशन या विक्रय के लिए ऐसे प्रतिभूति लेनदार द्वारा लेने के कोई उपाय किए जाने की दशा में, प्रतिभूत आस्ति के पट्टे या समनुदेशन या विक्रय के लिए प्रतिभूति लेनदार द्वारा कोई और कदम नहीं उठाए जाएंगे ।"

धारा 14 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 14 में,--

(i) उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में "समाधान हो जाने के पश्चात्" शब्दों के पश्चात् "आवेदन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2क) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन :

(क) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 19 की उपधारा (2) के अनुपालन में किसी उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में उनके क्रमशः ऋण के प्रतिभूति लेनदारों के रूप में दो या अधिक बैंकों के साथ या बिना किसी वित्तीय संस्था जिसमें किसी उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में उनके क्रमशः ऋण के भाग को परिवर्तित किया है या ऐसे बैंक के नाम में किसी वित्तीय सहायता के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखे गए प्रवर्तक शेयरधारक के शेयरों के अंतरण में प्राप्त किए है, उधार लेने वाली कंपनी के पचास प्रतिशत शेयर पूंजी से अधिक के दोनों नियंत्री हैं ; या 1949 का 10

(ख) कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी या वित्तीय संस्था या कोई अन्य समनुदेशी उधार लेने वाली कंपनी की शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत से अधिक

की नियंत्री है,

द्वारा भी किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण--शंकाओं के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिभूति लेनदार द्वारा किसी उधार देने वाली कंपनी के शेयरों के ऋण के शेयरों के परिवर्तन प्रवृत्त प्रतिभूतियों के प्रतिभूति लेनदारों के अधिकारों पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेंगे और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऋण की बकाया रकम की वसूली कर सकेंगे ।"

धारा 15 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यदि कोई प्रतिभूति लेनदार संयुक्त रूप से अन्य प्रतिभूत लेनदार या किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी या वित्तीय संस्था या कोई अन्य समनुदेशी अपने ऋण को किसी उधार देने वाली कंपनी के शेयरों में भागतः परिवर्तित करता है और उसका उधार लेने वाली कंपनी ने नियंत्री हित अर्जित कर लेता है, प्रतिभूत लेनदार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे उधार लेने वाले के कारबार को पुनर्स्थापित करें ।"

धारा 17 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 17 में,--

(i) "अपील करने का अधिकार" पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, "आवेदन करने का अधिकार" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

" (1क) उपधारा (1) के अधीन ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर--

(क) वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है ; या

(ख) जहां प्रतिभू आस्ति अवस्थित है,

फाइल कर सकेगा ।

(1ख) जहां कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन में संपत्ति पर किसी धृति या किसी अन्य अधिकार जिसमें प्रतिभूति ऋण के लिए प्रतिभूति हित सृजित किए गए है, ऋण वसूली अधिकरण ऐसे दावों की अधिकारिता का परीक्षण करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे ।" ;

(iii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यदि ऋण वसूली अधिकरण की यह राय है कि उधार लेने वाले से भिन्न कोई आवेदक प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या उधार लेने वाले के कारबार के प्रबंध के पुनर्स्थापन का हकदार हैं, ऋण वसूली अधिकरण ऐसे व्यक्ति को

आस्तियों के कब्जे या प्रबंध में पुनर्स्थापित करेगा ।"

नई धारा 20क और 20ख का अंतःस्थापन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

केन्द्रीय रजिस्ट्री में रजिस्ट्रीकरण प्रणाली का एकीकरण ।

"20क. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी संपत्ति पर अधिकारों के अभिलेखीकरण या ऐसे सांपत्तिक अधिकारों पर किसी प्रतिभूति हित के सृजन, उपांतरित या समाधान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रणाली संचालित करने वाली अन्य प्राधिकरणों के परामर्श से धारा 20 के अधीन स्थापित केन्द्रीय रजिस्ट्री के अभिलेखों के साथ ऐसी रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों के रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों का ऐसी रीति में एकीकरण कर सकेगी, जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्रीकरण अभिलेख जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1913, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958, मोटरयान अधिनियम, 1988, पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अन्य ऐसे अभिलेख भी है ।

2013 का 18
1908 का 16
1958 का 44
1988 का 59
1970 का 39
2000 का 16

(2) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय रजिस्ट्री के साथ उपधारा (1) में निर्दिष्ट विभिन्न रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों के अभिलेखों के एकीकरण के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों के एकीकरण की तारीख और तारीख अधिसूचना द्वारा घोषित करेगी, जिसको ऐसे एकीकृत अभिलेख उपलब्ध होंगे तथा ऐसी तारीख से किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि संपत्तियों पर प्रतिभूति हितों को रजिस्ट्र करे जिस पर वह पूर्व में ही इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्री में उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रणाली के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।" ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

20ख. केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रजिस्ट्री के स्थापन, प्रचालन और विनियमन के संबंध में इस अध्याय के अधीन इसकी शक्तियों और कृत्यों को रिजर्व बैंक को ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।"

धारा 23 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम में,--

(i) धारा 23 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में,--

(क) यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी या प्रतिभूत लेनदार द्वारा ऐसे प्रतिभूति के संव्यवहार या सृजन की तारीख के पश्चात् "तीस दिन के भीतर" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ग) दूसरे परंतुक में, "परंतु" शब्द के पश्चात् आने वाले "यह और कि" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ii) धारा 23 में, इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्,

निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(2) केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास विभिन्न प्रकार की संपत्ति पर सृजित, विभिन्न प्रकार के प्रतिभूति हित से संबंधित संव्यवहार के रजिस्ट्रीकरण को विस्तारित कर सकेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा, इस धारा के अधीन विभिन्न प्रकार के प्रतिभूति हित के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रारूप और ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर प्रभारित की जाने वाली फीस विहित कर सकेगी ।"।

नए अध्याय 4क का अंत:स्थापन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 26क के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"अध्याय 4क

प्रतिभूत लेनदारों और अन्य लेनदारों द्वारा रजिस्ट्रीकरण

प्रतिभूत लेनदारों और अन्य लेनदारों आदि द्वारा रजिस्ट्रीकरण ।

26ख. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति को उधार देने वाले द्वारा अनुदत्त किसी वित्तीय सहायता के सम्यक् प्रतिदाय को प्रतिभूत करने के प्रयोजन के लिए उधार लेने की किसी संपत्ति पर किसी प्रतिभूति हित का सृजन, उपांतरण करने या उसका पालन करने के लिए धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यघ) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति लेनदारों से भिन्न सभी लेनदारों के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री से संबंधित अध्याय 4 के उपबंधों को विस्तारित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से, कोई लेनदार, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूत लेनदार भी है, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, केंद्रीय रजिस्ट्री को किसी प्रतिभूत हित के सृजन, उपांतरण या समाधान करने वाले संव्यवहार की विशिष्टियां फाइल कर सकेगा ।

(3) अपने पक्ष में सृजित संपत्तियों पर प्रतिभूत हित का सृजन, उपांतरण और समाधान करने के संव्यवहार संबंधी विशिष्टियां फाइल करने वाला प्रतिभूत लेनदार से भिन्न कोई लेनदार इस अधिनियम के अधीन प्रतिभूतियों के प्रवर्तन संबंधी किंहीं अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।

(4) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण का ऐसा प्रत्येक प्राधिकारी या अधिकारी, जिसे कर या अन्य सरकारी शोध्य राशियों की वसूली और कर या अन्य सरकारी शोध्य राशियों का संदाय करने के लिए दायी किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की का कोई आदेश जारी करने का कृत्य सौंपा गया है, केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास, ऐसे प्रारूप में और रीति से, जो विहित की जाए, ऐसा कुर्की आदेश, निर्धारिती की विशिष्टियों और ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, कर या अन्य सरकारी शोध्यों के ब्यौरों के साथ, फाइल करेगा ।

(5) यदि कोई अन्य व्यक्ति, जिसका किसी उधार लेने वाले के विरुद्ध कोई दावा है, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी से, जो कुर्की आदेश जारी करने के

लिए सशक्त है, संपत्ति की कुर्की के आदेश अभिप्राप्त कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे कुर्की आदेश की विशिष्टियां केंद्रीय रजिस्ट्री के पास ऐसे प्ररूप में और रीति से तथा ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो सरकार द्वारा विहित की जाए, फाइल कर सकेगा ।

संव्यवहारों आदि के रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव ।

26ग. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी प्रतिभूत लेनदार या किसी अन्य लेनदार द्वारा प्रतिभूत हित का सृजन, उपांतरण या समाधान करने संबंधी किन्हीं संव्यवहारों का रजिस्ट्रीकरण या कुर्की आदेशों को, केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास, यथास्थिति, ऐसे प्रतिभूत हित के सृजन, उपांतरण या ऐसी प्रतिभूति हितों के समाधान के ऐसे संव्यवहार की विशिष्टियां या कुर्की आदेश फाइल किए जाने की तारीख और समय से सार्वजनिक सूचना दिए जाने का गठन हुआ समझा जाएगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए फाइल किया जाता है, वहां प्रतिभूत लेनदार या किसी अन्य लेनदार के पक्ष में किसी संपत्ति पर प्रतिभूति हित या कुर्की आदेश ऐसे प्रतिभूत लेनदार या कुर्की आदेश धारण करने वाले अन्य लेनदार के दावे को ऐसी संपत्ति पर सृजित किसी पश्चात्वर्ती प्रतिभूति हित पर पूर्विकता प्राप्त होगी और ऐसी संपत्ति का कोई विक्रय, अंतरण, पट्टा या लाइसेंस अथवा ऐसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् कुर्की आदेश ऐसे दावे के अध्यधीन होगा :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात उधार लेने वाले द्वारा कारबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए संव्यवहारों को लागू नहीं होगी ।

प्रतिभूतियों के प्रवर्तन के अधिकार ।

26घ. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्याय 4क के उपबंधों के प्रारंभ की तारीख से ही, कोई भी प्रतिभूत लेनदार अध्याय 3 के अधीन प्रतिभूतियों के प्रवर्तन के अधिकारों का तब तक प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा जब तक उधार लेने वाले द्वारा उसके पक्ष में सृजित प्रतिभूति हित को केंद्रीय रजिस्ट्री में सम्यक् रूप से फाइल न कर दिया गया हो ।

प्रतिभूत लेनदारों को पूर्विकता ।

26ङ. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूत हित के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् किंहीं प्रतिभूत लेनदारों को, देय ऋणों का संदाय केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को संदेय सभी अन्य ऋणों और सभी राजस्वों, करों, उपकरों और अन्य रेटों पर पूर्विकता देकर किया जाएगा ।"।

धारा 27 का संशोधन ।

18. धारा 27 में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु इस धारा के उपबंध, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा यथासंशोधित अध्याय 4क और धारा 23 के उपबंधों के प्रवर्तन में आने की तारीख से लोप हुए समझे जाएंगे ।"।

धारा 28 का लोप ।

19. मूल अधिनियम की धारा 28 का लोप किया जाएगा ।

20. मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- नई धारा 30क, धारा 30ख, धारा 30ग और धारा 30घ का अंत:स्थापन ।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

'30क. (1) धारा 12ग या धारा 29 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, उन धाराओं में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई असफलता या उल्लंघन या व्यतिक्रम किया जाता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसे व्यतिक्रमी व्यक्ति पर, एक करोड़ रुपए से अनधिक रकम या ऐसी चूक या उल्लंघन या व्यतिक्रम में अंतर्वलित रकम, जहां ऐसी रकम परिमेय है, की दुगुनी रकम, इनमें से जो भी अधिक हो, और जहां ऐसी चूक या उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, वहां ऐसी अतिरिक्त शास्ति, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी चूक या उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, एक लाख रुपए तक का हो सकेगी, अधिरोपित कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी व्यतिक्रमी व्यक्ति पर सूचना की तामील करेगा, जिसमें उस व्यक्ति से इस बात का कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि सूचना में विनिर्दिष्ट रकम शास्ति के रूप में अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(3) किसी व्यतिक्रमी व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में ऐसी किसी चूक या उल्लंघन या व्यतिक्रम से तात्पर्यित कोई परिवाद फाइल नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में कोई शास्ति इस धारा के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित और वसूल की गई है ।

(4) जहां किसी न्यायालय में धारा 12ग या धारा 29 में निर्दिष्ट प्रकृति की ऐसी किसी चूक या उल्लंघन या व्यतिक्रम के संबंध में कोई परिवाद फाइल किया गया है, वहां उस व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित किए जाने की कोई कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से रिजर्व बैंक का ऐसा अधिकारी या अधिकारियों की कोई समिति अभिप्रेत है, जो रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा अभिहित की जाए ;

(ii) "व्यतिक्रमी व्यक्ति" से ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी या कोई व्यक्ति, जिसने, यथास्थिति, धारा 12ग या धारा 29 में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई चूक या उल्लंघन या व्यतिक्रम किया है और ऐसी कंपनी का, यथास्थिति, कोई भारसाधक व्यक्ति या ऐसा अन्य व्यक्ति ऐसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा की गई किसी चूक या उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए धारा 33 के अधीन कार्यवाही किए जाने के दायित्वाधीन या दंडनीय होगा ।

शास्तियों के विरुद्ध अपील ।

30ख. धारा 30क की उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश से व्यथित व्यतिक्रमी व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको वह आदेश पारित किया जाता है, तीस

दिन की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा :

परंतु अपील प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे फाइल न करने का पर्याप्त हेतुक था ।

30ग. (1) रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड, ऐसे अधिकारी या अधिकारियों की समिति को अभिहित कर सकेगा जो अपील प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ठीक समझे ।

(2) अपील प्राधिकारी को, व्यतिक्रमी व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति होगी, जो वह ठीक समझे ।

(3) अपील प्राधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, धारा 30क के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के प्रवर्तन को रोक सकेगा ;

(4) जहां व्यतिक्रमी व्यक्ति, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश द्वारा अधिरोपित निबंधनों और शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है वहां अपील प्राधिकारी अपील को खारिज कर सकेगा ।

शास्तियों की वसूली ।

30घ. (1) धारा 30क के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति "वसूलीय राशि" के रूप में वसूल की जाएगी और वह उस तारीख से, जिसको व्यतिक्रमी व्यक्ति पर वसूलीय राशि के संदाय की मांग करने संबंधी सूचना की तामील की जाती है, तीस दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी और ऐसी अवधि के भीतर उस व्यक्ति द्वारा उसका संदाय करने में असफल रहने की दशा में रिजर्व बैंक, वसूली के प्रयोजन के लिए,--

(क) व्यतिक्रमी व्यक्ति द्वारा रिजर्व बैंक के पास चालू खाते में से, यदि कोई हो, विकलन करके या ऐसे व्यक्ति द्वारा रिजर्व बैंक की पुस्तकों में जमा रखी गई प्रतिभूतियों को, यदि कोई हों, परिसमापन द्वारा कर सकेगा ।

(ख) ऐसे व्यक्ति को, जिससे कोई रकम व्यतिक्रमी व्यक्ति को शोध्य है, उस व्यक्ति से उसके द्वारा जो रकम व्यतिक्रमी व्यक्ति को संदेय है, में से ऐसी राशि की, जो वसूलीय राशि की रकम के बराबर है, कटौती करके और उसका रिजर्व बैंक को संदाय करने की अपेक्षा करते हुए, सूचना जारी कर सकेगा ।

(2) उपधारा (4) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन जारी सूचना ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर, आबद्धकर होगी, जिसे यह जारी की जाती है और जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंक या किसी बीमा कंपनी को जारी की जाती है, वहां किसी प्रतिकूल नियम, पद्धति या अपेक्षा के होते हुए भी, संदाय किए जाने के पूर्व उसकी किसी प्रविष्टि या पृष्ठांकन के प्रयोजन के लिए कोई पास बुक, जमा रसीद, पालिसी या कोई अन्य दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

(3) ऐसी किसी रकम के संबंध में ऐसा कोई दावा, जो उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी होने की तारीख के पश्चात् उदभूत हुआ है, सूचना में अंतर्विष्ट मांग के विरुद्ध शून्य होगा ।

(4) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन सूचना भेजी जाती है, शपथ पर यह कथन करते हुए ऐसी सूचना के प्रति यह आक्षेप करता है कि मांगी गई राशि या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति शोध्य नहीं है या वह व्यतिक्रमी व्यक्ति की ओर से या उसके मद्दे कोई धनराशि धारित नहीं करता है, तो इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति से, यथास्थिति, ऐसी कोई रकम या उसके किसी भाग का संदाय करने की उससे अपेक्षा नहीं होगी ;

(5) जहां यह पता चलता है कि उपधारा (4) के अधीन व्यक्ति द्वारा किया गया कथन किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या है वहां ऐसा व्यक्ति, सूचना की तारीख को व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति अपने स्वयं के दायित्व की सीमा तक या रिजर्व बैंक को व्यतिक्रमी व्यक्ति द्वारा संदेय वसूलीय राशि की सीमा तक, इनमें से जो भी कम हो, रिजर्व बैंक के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी होगा ।

(6) रिजर्व बैंक, किसी भी समय उपधारा (1) के अधीन जारी किसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या उसे वापस ले सकेगा या ऐसी सूचना के अनुसरण में संदाय करने के समय को बढ़ा सकेगा ।

(7) रिजर्व बैंक, इस धारा के अधीन जारी सूचना के अनुपालन में उसे संदत्त किसी रकम की रसीद देगा और इस प्रकार संदाय करने वाला व्यक्ति, इस प्रकार संदत्त रकम की सीमा तक व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से पूर्णतया उन्मोचित हो जाएगा ।

(8) व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति किसी दायित्व का निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति इस खंड के अधीन किसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात्,--

(क) व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति इस प्रकार निर्वहन किए गए अपने स्वयं के दायित्व की सीमा तक ; या

(ख) व्यतिक्रमी व्यक्ति द्वारा रिजर्व बैंक को संदेय वसूलीय राशि की सीमा तक,

इनमें से जो भी कम हो, रिजर्व बैंक के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी होगा ।

(9) जहां ऐसा व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन सूचना भेजी गई है, रिजर्व बैंक को उसके अनुसरण में संदाय करने में असफल रहता है तो उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी व्यक्ति समझा जाएगा और रकम की वसूली के लिए उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई या कार्यवाहियां ऐसे की जा सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी, मानो वे इस धारा में उपबंधित रीति में उससे शोध्य कोई बकाया है ।

(10) रिजर्व बैंक, उस क्षेत्र पर जहां व्यतिक्रमी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, प्रधान कार्यालय या कारबार का मुख्य स्थान या ऐसे व्यक्ति का सामान्य

निवास स्थान स्थित है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय के माध्यम से वसूलीय राशि की वसूली इस प्रकार प्रवर्तित कर सकेगा, मानो रिजर्व बैंक द्वारा जारी सूचना न्यायालय की कोई डिक्री है :

परंतु इस निमित्त प्राधिकृत रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी द्वारा प्रधान सिविल न्यायालय को यह प्रमाणित करते हुए कि व्यतिक्रमी व्यक्ति वसूलीय राशि का संदाय करने में असफल रहा है, किए गए आवेदन के सिवाय, कोई वसूली प्रवर्तित नहीं की जाएगी।"।

धारा 31 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 31 के खंड (ङ) का लोप किया जाएगा ।

धारा 31क का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 31क की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(2) उपधारा (1) के अधीन निकाले जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, प्रारूप रूप में, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी और यदि दोनों सदन उस अधिसूचना के निकाले जाने का अननुमोदन करने के लिए सहमत हो जाए या दोनों सदन अधिसूचना में उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह अधिसूचना, यथास्थिति, निकाली नहीं जाएगी या ऐसे उपांतरित रूप में निकाली जाएगी जिन पर दोनों सदन सहमत हों ।

(3) उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट तीस दिन की ऐसी अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदन लगातार चार दिन से अधिक के लिए सत्रावसित या स्थगित रहता है ।

(4) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना की प्रतियां, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी ।"।

धारा 32 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की 32 में, "किसी प्रतिभूत लेनदार या प्रतिभूत लेनदार के किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करने वाले उसके किसी अधिकारी या प्रबंधक या उधार लेने वाले" शब्दों के स्थान पर, "रिजर्व बैंक या केन्द्रीय रजिस्ट्री या प्रतिभूत लेनदार या उसके किंहीं अधिकारियों" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 38 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की 38 की उपधारा (2) में,--

(i) खंड (खग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

"(खगक) धारा 20क के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्री के अभिलेखों में विभिन्न रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों के अभिलेखों को समाकलित करने की रीति ;

(खगख) धारा 20ख के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को शक्तियां प्रत्यायोजित करने के निबंधन और शर्तें ;" ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(घक) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन विभिन्न प्रकार के प्रतिभूति हितों के रजिस्ट्रीकरण का प्ररूप ;" ;

(iii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(चक) धारा 26ख की उपधारा (2) के अधीन संव्यवहारों की विशिष्टियां फाइल करने का प्ररूप और रीति ;

(चख) धारा 26ख की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास कुर्की आदेश फाइल करने का प्रारूप और रीति तथा उपधारा (5) के अधीन फीस ;"।

अध्याय 3

बैंको और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993

1993 का 51

धारा 2 का संशोधन ।

25. बैंको और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वूसली अधिनियम, 1993 की (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,--

(i) खंड (छ) में "वैद्य रूप से वसूल किए जाने योग्य हो" आने वाले शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

"और इसके अंतर्गत ऐसे प्रतिभूति ऋणों के प्रति कोई दायित्व भी है, जिसका, डिबेंचर न्यासी या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसके पक्ष में प्रतिभूति ऋणधारकों के फायदे के लिए प्रतिभूति हित का सृजन हुआ है, उधार लेने वाले पर नब्बे दिन की सूचना की तामील के पश्चात् भी पूर्ण रूप से या संदाय नहीं किया गया है ; या";

(ii) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(छक) "ऋण प्रतिभूति" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार सुचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां अभिप्रेत है;';

1992 का 15

(iii) खंड (ज) के उपखंड (ik) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत और ऋण प्रतिभूतियों के लिए नियुक्त कोई डिबेंचर न्यासी ।"

(iv) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

'(जक) "वित्तीय पट्टे" से पट्टे संबंधी करार के अधीन किसी परक्राम्य लिखत या परक्राम्य दस्तावेज से भिन्न मूर्त आस्ति में, जहां पट्टेदार, पट्टे की अवधि समाप्त होने पर या आस्ति के तय किए गए अवशिष्ट मूल्य का

संदाय किए जाने पर, आस्ति का स्वामी हो गया है, पट्टाकर्ता का कोई अधिकार अभिप्रेत है ;';

(v) खंड (ञक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

'(ञख) "संपत्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

(क) स्थावर संपत्ति ;

(ख) जंगम संपत्ति ;

(ग) कोई ऋण या धन का, चाहे प्रतिभूत हो या अप्रतिभूत, संदाय प्राप्त करने का कोई अधिकार ;

(घ) प्राप्त किए जाने योग्य शोध्य, चाहे विद्यमान हो, या भावी ;

(ङ) अमूर्त आस्तियां, व्यवहार ज्ञान, प्रतिलिप्यधिकार, मताधिकार या इसी प्रकृति का ऐसा कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार, जो रिजर्व बैंक द्वारा, अधिसूचना द्वारा ऐसे संपत्ति अधिकार के रूप में घोषित किया गया है, जिन पर बैंको और वित्तीय संस्थानों के पक्ष में प्रतिभूति हित का सृजन किया जा सकता है ।';

(vi) खंड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(ठक) "प्रतिभूति लेनदार" का वही अर्थ होगा, जो उसका वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यघ) में है ; 2002 का 54

(ठख) "प्रतिभूति हित" से किसी संपत्ति पर, किसी बैंक या वित्तीय संस्था के पक्ष में सृजित कोई बंधक, भार, आइमान, समनुदेशन या कोई अन्य अधिकार, चाहे वह किसी प्रकार का हों, कोई हक या हित अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत--

(क) ऐसी मूर्त संपत्ति पर, जो किराए या वित्तीय पट्टे या सशर्त विक्रय पर दी गई हो, बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा संपत्ति के स्वामी के रूप में प्रतिधारित किसी प्रकार का ऐसा कोई अधिकार, हक या हित भी है, जो आस्ति की क्रय कीमत या उपगत बाध्यता या किसी ऐसे उधार के, जो उधार लेने वाले को मूर्त संपत्ति अर्जित करने में समर्थ बनाने के लिए दिया गया हो, किसी असंदत्त भाग का संदाय करने की बाध्यता को प्रतिभूत करता है ; या

(ख) किसी अमूर्त आस्ति के लाइसेंस में का कोई ऐसा अधिकार, हक या हित भी है, जो अमूर्त आस्ति की क्रय कीमत या उपगत बाध्यता या किसी ऐसे उधार के, जो उधार लेने वाले को अमूर्त आस्ति या अमूर्त आस्ति का लाइसेंस अर्जित करने में समर्थ बनाने के लिए विस्तारित कर दिया गया हो, किसी असंदत्त भाग का संदाय करने की बाध्यता को प्रतिभूत करता है ;"।

26. मूल अधिनियम की धारा 6 में,-- धारा 6 का संशोधन ।

(i) "बासठ वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पैंसठ वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु अधिकरण का कोई पीठासीन अधिकारी जिसने अपनी पदावधि पूरी कर ली है, पीठासीन अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।"।

27. मूल अधिनियम की धारा 11 में,-- धारा 11 का संशोधन ।

(i) "पैंसठ वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "सड़सठ वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा :

"परंतु अपील अधिकरण का कोई अध्यक्ष जिसने अपनी पदावधि पूरी कर ली है, अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा ।"

28. मूल अधिनियम की धारा 17क में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- धारा 17क का संशोधन ।

"(1क) उपधारा (1) के अधीन अधिकरणों पर अधीक्षण और नियंत्रण की साधारण शक्तियों के प्रयोग के प्रयोजन के लिए, अध्यक्ष--

(i) इस अधिनियम के अधीन और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन या किसी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दोनों के लंबित मामलों, निपटाए गए मामलों की संख्या, फाइल किए गए नए मामलों की संख्या से संबंधित जानकारी और ऐसी अन्य जानकारी जो अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझी जाए ऐसे प्ररूप में, ऐसे अंतरालों पर और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अधिकरणों को निदेश दे सकेगा ; और

2002 का 54

(ii) उनके निष्पादन का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करने के लिए अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक आहूत कर सकेगा ।

(1ख) जहां अधिकरण के किसी पीठासीन अधिकारी या अन्यथा के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन किए जाने पर, अध्यक्ष की यह राय है कि दुर्व्यवहार या अक्षमता के लिए ऐसे पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध जांच आरंभ की जानी अपेक्षित है तो वहां वह धारा 15 के अधीन ऐसे पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई, यदि कोई हो, और उसके लिए ऐसे कारण जो लेखबद्ध किए जाएं की सिफारिश करते हुए केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।"

29. मूल अधिनियम की धारा 19 में,-- धारा 19 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में, खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुर्नसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुर्नसंख्यांकित खंड (कक) से पहले निम्नलिखित खंड

अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(क) बैंक की शाखा या वित्तीय संस्था का कोई अन्य कार्यालय कार्य कर रहा है और ऐसा खाता चलाता है जिसमें दावाकृत ऋण तत्समय बकाया है ; या

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप में होगा जो विहित किया जाए और इसके साथ ऐसी फीस जो विहित की जाए, सहित दावे के समर्थन में विश्वास किए गए सभी दस्तावेजों की शुद्ध प्रतियां संलग्न होंगी ।"

(iii) उपधारा (3) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण**--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, दस्तावेजों के अंतर्गत बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 के अधीन सम्यकत: प्रमाणित बैंककारों की बही में लेखा का विवरण या कोई प्रविष्टि भी है ।" 1891 का 18

(iv) उपधारा (3) के पश्चात् उपधारा (3क) को उपधारा (3ख) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (3ख) से पूर्व निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(3क) ऋण की वसूली के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन में प्रत्येक आवेदक,--

(क) प्रतिवादियों में से किसी प्रतिवादी की संपत्तियों या आस्तियों पर प्रतिभूति हित द्वारा प्रतिभूत ऋण और ऐसी प्रतिभूतियों का प्राक्कलित मूल्य की विशिष्टियों का कथन करेगा;

(ख) यदि प्रतिभूतियों का प्राक्कलित मूल्य दावाकृत ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो प्रतिवादियों में से किसी प्रतिवादी के स्वामित्वाधीन किसी अन्य संपत्ति या आस्तियों, यदि कोई हो, की विशिष्टियों का कथन करेगा; और

(ग) यदि ऐसी अन्य आस्तियों का प्राक्कलित मूल्य ऋण को वसूल करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो प्रतिवादियों के स्वामित्वाधीन अन्य संपत्तियों या आस्तियों की विशिष्टियां अधिकरण को प्रकटित करने के लिए प्रतिवादी को निदेश देने वाले आदेश की मांग करें ।"

(v) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त किए जाने पर अधिकरण प्रतिवादी को निम्नलिखित निदेशों के साथ,--

(i) वह समनों की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताने के लिए कि प्रार्थना की गई अनुतोष क्यों न प्रदान किया जाए ;

(ii) उपधारा (3क) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट संपत्तियों और आस्तियों से भिन्न संपत्तियों या आस्तियों की विशिष्टियां प्रकटित करने के लिए प्रतिवादी को निदेश देने के लिए ।

(iii) संपत्ति कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान के लंबित रहने तक खंड (ग) के अधीन प्रकटित ऐसी आस्तियों और संपत्तियों के संबंध में कार्रवाई करने या उनका निपटान करने से प्रतिवादी को अवरुद्ध करने वाला अंतरिम एकपक्षीय आदेश पारित करने के लिए, समन जारी करेगा ।"

(vi) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

1882 का 4

"(4क) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 65क में किसी बात के होते हुए भी, समनों के तामील पर प्रतिवादी अपनी किन्हीं आस्तियों जिनपर प्रतिभूति हित सृजित किया जाता है या ऐसी संपत्तियों को और उपधारा (3क) के अधीन विनिर्दिष्ट या प्रकटित आस्तियों को अपने कारबार के सामान्य अनुक्रम में अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना विक्रय पट्टा या अन्यथा के रूप में अंतरित करेगा अन्यथा नहीं :

परंतु अधिकरण आवेदक बैंक या वित्तीय संस्था को कारण बताने के लिए सूचना दिए बिना ऐसा अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा कि प्रार्थना किया गया अनुमोदन क्यों नहीं प्रदान किया जाए:

परंतु यह और कि प्रतिवादी कारबार के मामूली अनुक्रम में प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय द्वारा वसूल किए गए विक्रय आगमों का लेखा जोखा देने के लिए दायी होगा और ऐसी आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्था के साथ चलाए गए खाते में ऐसे विक्रय आगमों को जमा करेगा ।"

(vii) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(5) (i) प्रतिवादी समनों की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उपधारा (6) के अधीन मुजरा के लिए दावे सहित अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन या उपधारा (8) के अधीन प्रतिदावा प्रस्तुत करेगा और ऐसे लिखित कथन के साथ अपनी प्रतिरक्षा में लिखित विवरणी यदि कोई हो प्रस्तुत करेगा और ऐसी लिखित विवरणी के साथ प्रतिवादी द्वारा विश्वास किए गए, अधिकरण की अनुमति से मूल दस्तावेज या उनकी शुद्ध प्रतियां संलग्न होंगी :

परंतु जहां प्रतिवादी तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है वहां पीठासीन अधिकारी आववादिक मामलों और विशेष परिस्थितियों में जो लेखबद्ध की जाएं, उक्त अवधि को अपने

प्रतिरक्षा की लिखित विवरणी फाइल करने के लिए पंद्रह दिन से अनधिक ऐसी और अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकेगा ।

"(ii) जहां प्रतिवादी अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में किसी संपत्ति या आस्ति का प्रकटन करता है वहां इस धारा की उपधारा (4क) के उपबंध ऐसी संपत्ति आस्ति को लागू होंगे ;

(iii) उपधारा (4) के खंड (ii) के अधीन किए गए किसी आदेश के अननुपालन की दशा में पीठासीन अधिकारी आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या अधिकारी जो व्यतिक्रम करता है को तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए सिविल कारागार में परिरुद्ध तब तक कर लिया जाए जब तक कि इस बीच पीठासीन अधिकारी उसकी निर्मुक्ति का आदेश न दे दे:

परंतु पीठासीन अधिकारी इस खंड के अधीन कोई आदेश ऐसे व्यक्ति या अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए, 'ऐसा अधिकारी जो व्यतिक्रम करता है' पद से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (60) में परिभाषित है ।"; 2013 का 18

(viii) उपधारा (5क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"(5क) प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्राप्त हो जाने पर या लिखित कथन फाइल करने के लिए अधिकरण द्वारा प्रदान किए गए समय की समाप्ति पर, अधिकरण कार्यवाहियों के पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को ग्रहण करने के लिए या प्रत्याख्यान के लिए उपधारा (4) के अधीन पारित अंतरिम आदेश को बनाए रखने के लिए या उसको बातिल करने के लिए भी सुनवाई नियत करेगा ।

(5ख) जहां प्रतिवादी बैंक या वित्तीय संस्था को देय ऋण की रकम को पूर्णत: या भागत: स्वीकार करता है वहां अधिकरण प्रतिवादी को स्वीकृति की सीमा तक ऐसी रकम का ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा जिसके न हो सकने पर अधिकरण उपधारा (22) के उपबंधों के अनुसार प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए गए देय ऋण की रकम की सीमा तक प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा ।"

(ix) उपधारा (6) में, "मुजरा किए जाने के लिए मांगे गए ऋण" शब्दों के पश्चात् "आवेदक के विरुद्ध मूल दस्तावेज और किसी अभिनिश्चित धनराशि के मुजरा के दावे के समर्थन में विश्वास किए गए अन्य साक्ष्य सहित मुजरा किए जाने के लिए मांगा गया ऋण" शब्द रखे जाएंगे ।

(x) उपधारा (10) में, "जो अधिकरण द्वारा नियत की जाए" शब्दों के स्थान पर "जो विहित की जाएं" शब्द रखे जाएंगे।

(xi) उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(10क) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक आवेदन या उपधारा (5) के अधीन प्रतिवादी का लिखित कथन या उपधारा (6) के अधीन मुजरे का दावा या प्रतिवादी द्वारा उपधारा (8) के अधीन कोई प्रतिदावा या इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित उपधारा (10) के अधीन प्रतिदावा के उत्तर में आवेदक द्वारा लिखित कथन या कोई अन्य अभिवचन, वह जो भी हो, यथास्थिति, सभी तथ्यों और अभिवचनों से उपाबद्ध दस्तावेजों का अभिवचन करने वाले कथन और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य या मुजरा या दावे का लिखित कथन या उत्तर सत्यापन करने वाले आवेदक या प्रतिवादी द्वारा शपथ लिए गए शपथ पत्र से समर्थित होगा :

परंतु यदि किसी पक्षकार द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले साक्षियों का कोई ऐसा साक्ष्य है, तो ऐसे साक्षियों के शपथ पत्र उपधारा (10क) के अधीन फाइल किए गए आवेदन या लिखित कथन या उत्तरों के साथ साथ पक्षकार द्वारा फाइल किए जाएंगे ।

(10ख) यदि आवेदन या लिखित कथन में किन्हीं तथ्यों या अभिवचनों को उपधारा (10क) के अधीन उपबंधित रीति में सत्यापित नहीं किया जाता है तो कार्यवाहियों के पक्षकार को उसमें उपवर्णित साक्ष्य या किसी विषय के रूप में ऐसे तथ्यों या अभिवचनों पर विश्वास करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।"

(xii) उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(11) जहां प्रतिवादी कोई प्रतिदावा लिखित कथन में प्रस्तुत करता है और आवेदक ऐसे दावे के उत्तर में यह प्रतिवाद करता है कि उसके द्वारा उठाया गया दावा प्रतिदावे के रूप में न निपटाया जाए किंतु एक स्वतंत्र कार्रवाई के रूप में निपटाया जाए तो अधिकरण ऐसे मुद्दे का विनिश्चय ऋण की वसूली के लिए आवेदक के दावे के साथ करेगा ।"

(xiii) विद्यमान धारा 12 का लोप किया जाएगा ।

(xiv) उपधारा (13) (क) में, "अधिकरण का शपथ पत्र या अन्यथा द्वारा समाधान हो जाता है" शब्दों के स्थान पर, "अधिकरण कुर्क की जाने वाली संपत्ति की विशिष्टियों और उसके प्राक्कलित मूल्य या अन्यथा सहित आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर" शब्द रखे जाएंगे ;

(xv) उपधारा (14) का लोप किया जाएगा ।

(xvi) उपधारा (15) में "उपधारा (14)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उपधारा (13)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे, अर्थात :--

(xvii) उपधारा (19) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--

"(19) जहां कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और ऐसी कंपनी परिसमापनाधीन है तो वहां अधिकरण आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी कंपनी की प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय आगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 में यथा उपबंधित उसी रीति में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वितरित की जाएं" 2013 का 18

(xviii) उपधारा (20) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात:--

"(20) अधिकरण सभी दावों, मुजरा या प्रतिदावों, यदि कोई हों और ऐसे दावों पर हित के संबंध में आवेदक और प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सुनवाइयों के समाप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर अंतरिम या अंतिम आदेश जो वह ठीक समझे जिसके अंतर्गत उस तारीख, जिसको ऐसी रकम का संदाय, वसूली या वास्तविक संदाय की तारीख तक शोध्य पाया जाता है, भी पारित करेगा ।"

(xix) उपधारा (20क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात :--

"(20कक) (i) उपधारा (20) के अधीन अंतिम आदेश पारित करते समय अधिकरण, उधार लेने वाले की उन आस्तियों को स्पष्टत: विनिर्दिष्ट करेगा जिन पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में वित्तीय हित सृजित किया जाता है और वसूली अधिकारियों को उपधारा (20कख) में यथा उपबंधित ऐसी आस्तियों के विक्रय आगमों को वितरित करने का निदेश देगा ।

(20कख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय से प्राप्त आगम प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में वितरित किए जाएंगे, अर्थात:--

(i) प्रतिभूत आस्तियों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए उपगत खर्चों/ मूल्यांकन के खर्च, कब्जे और नीलामी के लिए लोक सूचना और आस्तियों के विक्रय के लिए अन्य व्ययों का पूर्णत: संदाय किया जाएगा;

(ii) ऐसे बैंक या वित्तीय संस्था के देय ऋण।"

(xx) उपधारा (21) निम्नलिखित उपधारा द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:--

"(21) (i) अधिकरण आवेदक और प्रतिवादी को अपनी अंतिम आदेश और वसूली प्रमाण पत्र की एक प्रति भेजेगा;

(ii) आवेदक और प्रतिवादी ऐसी फीस के संदाय किए जाने पर जो विहित की जाए अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश की प्रति अभिप्राप्त कर

सकेगा :

(xxi) उपधारा (22) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात:--

"(22) पीठासीन अधिकारी प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट ऋण की रकम की वसूली के लिए वसूली अधिकारी को अपने हस्ताक्षर से विनिर्दिष्ट ब्याज सहित ऋण के संदाय के लिए अंतिम आदेश सहित उपधारा (20) के अधीन वसूली प्रमाण पत्र जारी करेगा ।"

(xxii) उपधारा (22) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(22क) उपधारा (22) के अधीन पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी कोई वसूली प्रमाण पत्र, यथास्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी, या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध कार्रवाहियों या प्रेसीडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 (1909 का 3) या प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति या भागीदारी फर्म के विरुद्ध दिवाला कार्यवाहियां के परिसमापन के प्रारंभ करने के प्रयोजनों के लिए न्यायालय की डिक्री या आदेश समझा जाएगा ।"

2013 का 18
2008 का 9
1909 का 3
1920 का 5

(xxiii) उपधारा (24) में "उसके द्वारा आवेदन को अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास किया जाएगा," शब्दों के स्थान पर "दो सुनवाइयों में कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्रत्येक प्रयास किया जाएगा, और" शब्द रखे जाएंगे ।

30. मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात :--

नई धारा 19क का अंत:स्थापन ।

"19क. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों जो ऐसी तारीख से और ऐसे अधिकरण तथा अपील अधिकरण के समक्ष जो अधिसूचित किए जाएं द्वारा यह उपबंध कर सकेंगे ।

2000 का 21

इलैक्ट्रानिक रूप में वसूली आवेदनों, दस्तावेजों और लिखित कथनों का फाइल किया जाना ।

(क) फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित उनके साथ उपाबद्ध किए जाने वाले आवेदन या लिखित कथन या कोई अन्य अभिवचन और दस्तावेज इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे जो आवेदक, प्रतिवादी या किसी अन्य याची के अंकीय हस्ताक्षर के साथ ऐसे रूप और रीति में जो विहित की जाए अधिप्रमाणित किए जाएंगे ;

(ख) कोई समन सूचना या संसूचना या प्रज्ञापना जो इस अधिनियम के अधीन तामील की जानी या परिदत्त की जानी अपेक्षित हो, इलैक्ट्रानिक रूप के अनुसार अभिवचनों और दस्तावेजों के पारेषण द्वारा तामील या परिदत्त की जा सकेगी और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित

की जा सकेगी;

(2) ऐसे अधिकरण या अपील अधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित अधिकरण या अपील अधिकरण द्वारा पारित किसी अंतरिम या अंतिम आदेश को ऐसे आदेश की लोक सूचना समझा जाएगा और कार्रवाई के पक्षकारों के रजिस्ट्रीकृत पते पर इलैक्ट्रानिक मेल द्वारा ऐसे आदेश का पारेषण ऐसे पक्षकार पर तामील किया गया समझा जाएगा;

(3) केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन नियमों द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए इलैक्ट्रानिक रूप उसके लिए वास्तविक रूप में अनन्य, या अनुकल्पत: या उसके अतिरिक्त होगा ।

(4) इलैक्ट्रानिक फाइलिंग को अंगीकृत करने के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित अधिकरण या अपील अधिकरण अन्य अधिकरणों और अपील अधिकरण के साथ अपनी ही वेबसाइट या सामान्य वेबसाइट या इलैक्ट्रानिक सूचना की ऐसी अन्य सार्वभौमिक रूप से पहुंच योग्य भंडार बनाए रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकरण या अपील अधिकरण द्वारा जारी किए गए सभी आदेश या निदेश अधिकरण या अपील अधिकरण की वेबसाइट पर ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रदर्शित किए जाते हैं ।"।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए---

(क) 'अंकीय हस्ताक्षर' से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (त) के अधीन यथा परिभाषित अंकीय हस्ताक्षर अभिप्रेत है; 2000 का 21

(ख) किसी सूचना या किसी दस्तावेज के प्रतिनिर्देश से 'इलैक्ट्रानिक रूप' से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (द) के अधीन यथा परिभाषित इलैक्ट्रानिक रूप अभिप्रेत है ।" 2000 का 21

धारा 20 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) में, "पैंतालीस दिन" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "तीस दिन" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 21 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम में,--

(i) धारा 21 में, "पचहत्तर प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पचास प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक में, "रकम को अधित्यजियत कर सकेगा या उसे घटा सकेगा" शब्दों के स्थान पर "निक्षिप्त की जाने वाली रकम को ऐसी रकम में से जो ऐसी देय ऋण की रकम का पच्चीस प्रतिशत से अन्यून नहीं होगी घटा सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 22 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 22 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

'(4) बैंककार बहियों में किसी प्रविष्टि के सबूत के प्रयोजन के लिए, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 18) के उपबंध अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष सभी कार्रवाइयों को लागू होंगे।' 1891 का 18

नई धारा 22क का अंत:स्थापन ।

34. मूल अधिनियम में धारा 22 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की

जाएगी, अर्थात :--

कार्यवाहियों संचालित करने के लिए एक समान प्रक्रिया ।

"22क केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा अधिकरणों और अपील अधिकरणों के समक्ष कार्यवाहियां संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों से संगत एक समान प्रक्रिया नियम अधिकथित कर सकेगी ।"।

धारा 25 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 25 में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

"(कक) ऐसी संपत्ति का जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया जाता है या प्रतिवादी की कोई अन्य संपत्ति का कब्जा लेना और ऐसी संपत्ति के लिए और उसका विक्रय करने के लिए रिसीवर नियुक्त करना ।"।

धारा 27 का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 27 में उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात :--

"(1क) यह होते हुए भी कि किसी रकम की वसूली के लिए वसूली अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी किया गया है, पीठासीन अधिकारी आदेश द्वारा रकम के संदाय के लिए समय मंजूर कर सकेगा, परंतु प्रतिवादी दावा की गई कम से कम पच्चीस प्रतिशत रकम का नकद संदाय करता है और युक्तियुक्त समय के भीतर अतिशेष का संदाय करने का अशर्त बचनबंध करता है, जो वसूली प्रमाण पत्र धारण करने वाले आवेदक बैंक या वित्तीय संस्था को स्वीकार्य है ;

(1ख) वसूली अधिकारी उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश के प्राप्त हो जाने के पश्चात् मंजूर किए जाने के पश्चात् इस प्रकार मंजूर किए समय की समाप्ति तक कार्यवाहियों पर रोक लगाएगा;

(1ग) जहां प्रतिवादी वसूली प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने के लए सहमत हो जाता है और कार्यवाहियों पर वसूली अधिकारी द्वारा रोक लगा दी जाती है वहां प्रतिवादी अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध फाइल के अधिकरण को समपहृत करेगा ;

(1घ) जहां प्रतिवादी उपधारा (1) के अधीन रकम के संदाय में कोई व्यतिक्रम करता है वहां वसूली कार्यवाहियों की रोक वापस हो जाएगी और वसूली अधिकारी शेष शोध्य और संदेय ऋण की रकम की वसूली के लिए कदम उठाएगा ।"।

धारा 30क का अंत:स्थापन ।

37. मूल अधिनियम में, धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात :--

वसूली अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने के लिए शोध्य ऋण की रकम का निक्षेप ।

"30क. जहां किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे बैंक को या वित्तीय संस्था या बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के संघ को ऋण की रकम शोध्य है, धारा 30 के अधीन वसूली अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाती है वहां ऐसी अपील अधिकरण द्वारा तब तक गृहण नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने अधिकरण के पास अधिकरण द्वारा यथा अवधारित ऐसे शोध्य ऋण की रकम का पचहत्तर प्रतिशत रकम जमा नहीं कर दी हो ।"।

धारा 31ख का अंत:स्थापन ।

38. मूल अधिनियम में, धारा 31क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

प्रतिभूत लेनदारों की प्राथमिकता।

"31ख. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूत लेनदारों की ऐसी आस्तियों, जिन पर प्रतिभूति हित सृजित किया जाता है, के विक्रय द्वारा उनको शोध्य और संदेय प्रतिभूत ऋणों को वसूल करने के अधिकारों को पूर्वीकता प्राप्त होगी और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को शोध्य अन्य सभी ऋण और सरकारी शोध्य जिनमें राजस्व, कर, उपकर या दर भी हैं, पर पूर्वीकता के क्रम में संदत्त किए जाएंगे ।"

39. मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) में,--

"(i) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(गक) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन फाइल करने के लिए फीस ;

(ii) खंड (गग) में "(3क)" कोष्ठक और संख्या के स्थान पर, "(3ख) कोष्ठक और संख्या रखे जाएंगे;

(iii) खंड (गग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(गगक) धारा 19की उपधारा (10) के अधीन लिखित कथन फाइल करने की अवधि;

(गगख) धारा 19 की उपधारा (21) के अधीन अधिकरण के आदेश की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए फीस

(गगग) धारा 19क की उपधारा (1) के अधीन इलैक्ट्रोनिक रूप में आवेदन और दस्तावेज फाइल करने का प्ररूप और उपधारा (4) के अधीन अधिकरण और अपील अधिकरण के आदेशों के प्रदर्शन की रीति ;

(गगघ) उपधारा 22क के अधीन अधिकरणों और अपील अधिकरणों के समक्ष कार्यवाहियां संचालित करने के लिए एक समान कार्यवाही के नियम;" ।

1899 का अधिनियम संख्यांक 2 का संशोधन ।

40. भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा

1996 का अधिनियम संख्यांक 22 का संशोधन ।

41. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा ।

पहली अनुसूची

(धारा 40 देखिए)

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 का संशोधन

(1899 का 2)

1. धारा 8ड. के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"8च. इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की, धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (खक) में यथा परिभाषित किसी आस्ति पुनर्संनिर्माण कंपनी के पक्ष में, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों में अधिकारों या हित के अंतरण या समनुदेशन के लिए कोई करार या अन्य दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन शुल्क के लिए दायी नहीं होंगे ।"। 2002 का 54

2002 का अधिनियम संख्यांक 54 की धारा 5 के अधीन वित्तीय आस्तियों के अंतरण के लिए करार या दस्तावेज का स्टॉम्प ड्यूटी के लिए दायी न होना ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 41 देखिए)

निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का संशोधन

(1996 का 22)

1. धारा 7 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(1क) किसी प्रतिभागी से सूचना की प्राप्ति पर प्रत्येक निक्षेपागार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (खक) में यथा परिभाषित आस्ति पुनर्संनिर्माण कंपनी के पक्ष में प्रतिभूति का कोई अंतरण उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किसी बैंक या वित्तीय संस्था की वित्तीय आस्ति के अंतरण या समनुदेशन के साथ या उसके परिणामस्वरूप रजिस्टर करता है। 2002 का 54

(1ख) किसी प्रतिभागी से सूचना के प्राप्त होने पर प्रत्येक निक्षेपागार कंपनी और बैंक या वित्तीय संस्था या आस्ति पुनर्संनिर्माण कंपनी के बीच करार पाए गए कंपनी के ऋणों के पुनर्संनिर्माण के अनुसरण में शेयरों में अपने ऋण के भाग के संपरिवर्तन द्वारा यथास्थिति किसी बैंक या वित्तीय संस्था या आस्ति पुनर्संनिर्माण कंपनी और ऐसे बैंक या वित्तीय संस्था या आस्ति पुनर्संनिर्माण कंपनी के पक्ष में नए शेयरों के किसी पुरोधरण को रजिस्टर करता है ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए "बैंक" और "वित्तीय संस्था" तथा "आस्ति पुनर्संनिर्माण कंपनी" पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (खक), खंड (ग) और खंड (ड) में हैं ।" । 2002 का 54

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उधारों की शीघ्र वसूली के लिए अधिनियमित किए गए थे । वर्तमान में, ऋण वसूली अधिकरणों में लगभग सत्तर हजार मामले लंबित हैं । यद्धपि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम वसूली आवेदन के निपटान के लिए 180 दिन उपबंध करता है विभिन्न आस्थगनों और लंबी चलने वाली सुनवाइयों के कारण मामले कई वर्षों से लंबित हैं । वसूली आवेदनों के शीघ्र निपटारे को सुकर बनाने के लिए, उक्त अधिनियमों का संशोधन करने का और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में पारिणामिक संशोधन करने का भी विनिश्चय किया गया है ।

2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन परिवर्तनशील प्रत्यय परिदृश्य के अनुकूल बनाने तथा कारबार करने की सहजता में संवर्धन करने, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ साथ, (i) सभी प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूति हित के सृजन, उपांतरण और उसकी तुष्टि का रजिस्ट्रीकरण तथा संपत्ति अधिकारों पर प्रतिभूत हितों का केन्द्रीय डाटा आधार सृजित करने को केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास संपत्ति अधिकारों से संबंधित विभिन्न विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों के एकीकरण के लिए उपबंध ; (ii) परिवर्तनशील कारबार परिवेश में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पर शक्तियों का प्रदान किया जाना; (iii) आस्ति पुनर्गठन कंपनियों के पक्ष में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों के समनुदेशन पर स्टाम्प शुल्क से छूट; (iv) प्रतिभूति प्राप्तियों में विनिधान करने के लिए गैर संस्थागत विनिधानकर्ताओं को समर्थ बनाना; (v) प्रतिभूत लेनदारों के रूप में डिबेंचर न्यासी; (vi) प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा लेने के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा; और (vii) ऋणों के पुनर्संदाय में प्रतिभूत लेनदारों को प्राथमिकता भी है, के अनुकूल होने के लिए प्रस्तावित है ।

3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में प्रस्तावित संशोधनों के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ साथ, (i) वसूली आवेदनों का शीघ्र न्यायनिर्णयन; (ii) वसूली आवेदनों, दस्तावेजों और लिखित कथनों का इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल किया जाना; (iii) ऋणों के पुनर्संदाय में प्रतिभूत लेनदारों को प्राथमिकता; (iv) वित्तीय संस्थाओं के रूप में डिबेंचर न्यासी; (v) केन्द्रीय सरकार को ऋण वसूली अधिकरणों और अपील अधिकरणों में कार्यवाहियों के संचालन के लिए एकसमान प्रक्रियात्मक नियमों का उपबंध करने के लिए सशक्त करना भी हैं ।

4. विधेयक, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि स्टाम्प शुल्क से आस्ति पुनर्गठन कंपनियों के पक्ष में, उधारों के समनुदेशन

को छूट दी जा सके, और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में, गिरवी रखे गए शेयरों के अंतरण को सुकर बनाने के लिए या शेयरों में ऋण के संपरिवर्तन किए जाने पर निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का संशोधन करने के लिए भी है ।

5. विधेयक का उद्देश्य कारबार करने की सहजता में सुधार लाना और विनिधान को सुकर बनाना है जिसका परिणाम उच्च आर्थिक वृद्धि और विकास होगा ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
8 मई, 2016

अरुण जेटली

खंडो पर टिप्पण

खंड 1 'प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016' के रूप में विधेयक के संक्षिप्त नाम हेतु उपबंध करता है और वह यह उपबंध करने के लिए भी है कि विधेयक के उपबंध उस तारीख से प्रारंभ होंगे, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करे और विधेयक के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

खंड 2 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के दीर्घ शीर्षक का संशोधन करने के लिए है ताकि संपत्ति अधिकारों पर सृजित प्रतिभूति हितों के केन्द्रीय डाटाबेस का उपबंध किया जा सके ।

खंड 3 पूरे अधिनियम में प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी की नाम पद्धति में परिवर्तन करके उसे आस्ति पुनर्गठन कंपनी के रूप में अभिनामित करने के लिए है और उस प्रयोजन के लिए वह यह उपबंध करता है कि "प्रतिभूतिकरण कंपनी", "पुनर्गठन कंपनी", "प्रतिभूतिकरण या पुनर्गठन कंपनी", या "प्रतिभूतिकरण कंपनी या कोई पुनर्गठन कंपनी" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं "आस्ति पुनर्गठन कंपनी" शब्द रखे जाएंगे तथा "प्रतिभूतिकरण कंपनियां या पुनर्गठन कंपनियां" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं "आस्ति पुनर्गठन कंपनियां" शब्द रखे जाएंगे ।

खंड 4 अधिनियम में प्रयुक्त कतिपय पदों की परिभाषाओं से संबंधित धारा 2 का संशोधन करने के लिए है जैसे कि ऋण, व्यतिक्रम आदि और साथ ही वह धारा 2 में कुछ नई परिभाषाएं, जैसे कि "आस्ति पुनर्गठन कंपनी", "वित्तीय पट्टा", "परक्राम्य दस्तावेज" अंतःस्थापित करने के लिए भी है, ताकि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के विस्तार में वृद्धि की जा सके ।

खंड 5 मूल अधिनियम की धारा 3 (1) का संशोधन करने के लिए है, ताकि आस्ति पुनर्गठन कंपनियों के प्रायोजक के मानदंड में परिवर्तन करके इस उपबंध की बजाय कि किसी प्रायोजक के पास आस्ति पुनर्गठन कंपनी में बहुमत शेयर नहीं हो सकते, उपयुक्त और समुचित व्यक्ति रखा जा सके।

खंड 6 मूल अधिनियम की धारा 5 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा आस्ति पुनर्गठन कंपनियों के पक्ष में निष्पादित समनुदेशन विलेखों पर स्टांप शुल्क से छूट दी जा सके और ऐसे समनुदेशन विलेख को विभिन्न लोक अभिलेखों में आस्ति पुनर्गठन के नाम को प्रतिस्थापित करने के लिए स्वीकार किया जा सके ।

खंड 7 मूल अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने के लिए है, ताकि प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के लिए अर्हत संस्थागत क्रेताओं के साथ-साथ गैर-संस्थागत क्रेताओं को भी समर्थ बनाया जा सके ।

खंड 8 मूल अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, ताकि आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित नीति के अनुसार और उसके द्वारा

आस्ति पुनर्गठन कंपनियों के प्रबंधन और उनके द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस के संबंध में जारी निदेशों के अनुसार आस्ति पुनर्गठन के लिए किए जाने वाले उपायों का उपबंध किया जा सके ।

खंड 9 मूल अधिनियम की धारा 12 का संशोधन करने के लिए है, ताकि रिजर्व बैंक की नीति को अवधारित करने और किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा अर्जित वित्तीय आस्तियों के प्रबंध के लिए उपगत या ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जिन्हें प्रभारित किया जा सकेगा, के विनियमन हेतु और अर्हित संस्थागत क्रेताओं को जारी प्रतिभूति प्राप्तियों के अंतरण के लिए आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को निदेश जारी करने की शक्ति के विस्तार के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 10 मूल अधिनियम में नए उपबंध, अर्थात् धारा 12ख, धारा 12ग और धारा 12घ को अंतःस्थापित करने के लिए है । धारा 12ग रिजर्व बैंक को आस्ति पुनर्गठन कंपनियों की संपरीक्षा और निरीक्षण करने हेतु और आस्ति पुनर्गठन कंपनी के अध्यक्ष या किसी निदेशक को हटाने या निदेशक बोर्ड में अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति करने या किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी के समुचित प्रबंध को सुरक्षित करने के लिए ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी के निदेशक बोर्ड के कार्यकरण का संप्रेक्षण करने के लिए संप्रेक्षक के रूप में अपने किन्हीं अधिकारियों की नियुक्ति हेतु सशक्त करने के लिए है । नई धारा 12ग रिजर्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए शास्तियों का उपबंध करती है तथा धारा 12घ शास्ति संदाय करने में असफल रहने की दशा में परिवाद फाइल करने के लिए उपबंध करती है ।

खंड 11 मूल अधिनियम की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है, ताकि धारा 13 की उपधारा (2) में एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके, जो यह उपबंध करता हो कि गैर-निष्पादनीय आस्ति के रूप में प्रतिभूत ऋण के वर्गीकरण की अपेक्षा किसी ऐसे उधार लेने वाले को लागू नहीं होगी, जिसने ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से निधियां जुटाई हैं, किंतु इस अध्याय के अधीन प्रतिभूत हितों के प्रवर्तन के लिए उपबंध ऐसे उधार लेने वाले पर लागू होंगे; और व्यतिक्रम की दशा में, डिबेंचर न्यासी, डिबेंचर न्यासी के पक्ष में निष्पादित प्रतिभूति दस्तावेजों के निबंधनों और शर्तों के अनुसरण में तथा धारा 13 के अधीन यथा उपबंधित समान रीति में व्यतिक्रम की दशा में प्रतिभूतियों के प्रवर्तन का हकदार होगा ।

खंड 12 मूल अधिनियम की धारा 14 का संशोधन करने के लिए है, ताकि तीस दिन की ऐसी अवधि के लिए उपबंध किया जा सके, जिसके भीतर जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा फाइल किए गए आवेदनों का निपटारा करेगा और साथ ही वह खंड यह उपबंध करने के लिए भी है कि आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा--

(क) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुपालन में किसी उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में उनके क्रमशः ऋण के प्रतिभूति लेनदारों के रूप में दो या अधिक बैंकों के साथ या बिना किसी वित्तीय संस्था जिसमें किसी उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में उनके क्रमशः ऋण के भाग को परिवर्तित किया है या ऐसे बैंक के नाम में किसी वित्तीय सहायता के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखे गए प्रवर्तक शेयरधारक के शेयरों के अंतरण में

प्राप्त किए है, उधार लेने वाली कंपनी के पचास प्रतिशत शेयर पूंजी से अधिक के दोनों नियंत्री हैं ; या

(ख) कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी या वितीय संस्था या कोई अन्य समनुदेशी उधार लेने वाली कंपनी की शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत से अधिक की नियंत्री है ।

खंड 13 मूल अधिनियम की धारा 15 का संशोधन करने के लिए है, ताकि प्रतिभूत लेनदार को, उधार लेने वाली कंपनी में नियंत्री हित के अर्जन पर, उसके ऋण को शेयरों में संपरिवर्तित किए जाने के उपरांत उसके कारबार को पुनर्स्थापित करने में समर्थ बनाया जा सके ।

खंड 14 मूल अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है, ताकि ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) को प्रतिभूत आस्तियों पर अभिधृति दावों या तृतीय पक्षकार के किसी अन्य अधिकार का विनिश्चय करने हेतु सशक्त किया जा सके । यह खंड यह भी उपबंध करने के लिए है कि प्रतिभूतिकरण आवेदनों को ऐसे डीआरटी में फाइल किया जाएगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर हेतुक पूर्णतया या आंशिक रूप में उद्भूत हुआ है या जहां प्रतिभूत आस्ति अवस्थित है । यह खंड यह भी उपबंध करने के लिए है कि जहां वसूली अधिकरण की राय यह है कि उधार लेने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई आवेदक उधार लेने वाले के कारबार के प्रबंध या प्रतिभूत आस्तियों के कब्जे का पुनर्स्थापन करन के लिए हकदार है, वहां ऋण वसूली अधिकरण ऐसे व्यक्ति को आस्तियों के कब्जे या प्रबंध का पुनर्स्थापन करेगा ।

खंड 15 मूल अधिनियम में नई धारा 20 का अंतःस्थापित करने के लिए है, ताकि संपत्ति अधिकारों से संबंधित विभिन्न रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिलेखों को केन्द्रीय रजिस्ट्री के अभिलेखों के साथ एकीकृत किया जा सके जिससे कि संपत्ति अधिकारों पर प्रतिभूति हित के केन्द्रीय डाटाबेस के लिए उपबंध किया जा सके । यह खंड केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति भी प्रदान करता है कि वह केन्द्रीय रजिस्ट्री से संबंधित अपनी शक्ति और कृत्यों का प्रत्यायोजन रिजर्व बैंक को कर सके ।

खंड 16 मूल अधिनियम की धारा 23 का यह उपबंध करने हेतु संशोधन करने के लिए है कि केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास विभिन्न प्रकार की संपत्ति पर सृजित, विभिन्न प्रकार के प्रतिभूति हित से संबंधित संव्यवहार के रजिस्ट्रीकरण को विस्तारित कर सकेगी और नियमों द्वारा, इस धारा के अधीन विभिन्न प्रकार के प्रतिभूति हित के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रारूप और ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर प्रभारित की जाने वाली फीस विहित कर सकेगी ।

खंड 17 मूल अधिनियम में "प्रतिभूत लेनदारों और अन्य लेनदारों द्वारा रजिस्ट्रीकरण" नामक एक नया अध्याय 4क, जिसमें धारा 26ख, धारा 26ग, धारा 26घ और धारा 26ङ सम्मिलित हैं, अंतःस्थापित करने के लिए है । धारा 26ख उधार देने वाले द्वारा अनुदत्त किसी वित्तीय सहायता के सम्यक् प्रतिदाय को प्रतिभूत करने के प्रयोजन के लिए उधार लेने की किसी संपत्ति पर किसी प्रतिभूति हित का सृजन, उपांतरण करने या उसका पालन करने के लिए प्रतिभूति लेनदारों से भिन्न सभी लेनदारों के लिए रजिस्ट्रीकरण के उपबंधों को विस्तारित करने के लिए है ।

इसमें यह और उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय

प्राधिकरण का ऐसा प्रत्येक प्राधिकारी या अधिकारी, जिसे कर या अन्य सरकारी शोध्य राशियों की वसूली और कर या अन्य सरकारी शोध्य राशियों का संदाय करने के लिए दायी किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की का कोई आदेश जारी करने का कृत्य सौंपा गया है, केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास, ऐसा कुर्की आदेश, निर्धारिती की विशिष्टियों और ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, कर या अन्य सरकारी शोध्यों के ब्यौरों के साथ, फाइल करेगा ।

धारा 26ग यह उपबंध करने के लिए है कि प्रतिभूत हित का रजिस्ट्रीकरण संव्यवहारों के रजिस्ट्रीकरण की तारीख और समय से या केंद्रीय रजिस्ट्री के पास कुर्की आदेश फाइल करने की तारीख से प्रभावी होगा और धारा 26घ यह उपबंध करने के लिए है कि प्रतिभूत लेनदार प्रतिभूतियों के प्रवर्तन के अधिकार का प्रयोग करने का तभी हकदार होगा यदि वह केंद्रीय रजिस्ट्री के पास रजिस्ट्रीकृत है ।

धारा 26ङ प्रतिभूत लेनदारों के प्रति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को संदेय सभी अन्य ऋणों, राजस्वों, कर, उपकर और रेटों को पूर्विकता देने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 18 यह उपबंध करने के लिए है कि शास्तियों से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों का, इस विधेयक द्वारा यथासंशोधित अध्याय 4 और धारा 23 के प्रवर्तन की तारीख से ही लोप हुआ समझा जाएगा ।

खंड 19 अधिनियम की धारा 28 का लोप करने के लिए है ।

खंड 20 मूल अधिनियम की नई धारा 30क का रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुपालन करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली ऐसी शास्तियों का उपबंध करने हेतु अंत:स्थापित करने के लिए है जिसे पांच लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए और अपराध जारी रहने की दशा में दस हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया है । इसमें यह और उपबंधित है कि किसी व्यतिक्रमी व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में ऐसी किसी चूक या उल्लंघन या व्यतिक्रम से तात्पर्यित कोई परिवाद फाइल नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में कोई शास्ति रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित और वसूल की गई है और जहां किसी न्यायालय में धारा 12ग या धारा 29 में निर्दिष्ट प्रकृति की ऐसी किसी चूक या उल्लंघन या व्यतिक्रम के संबंध में कोई परिवाद फाइल किया गया है, वहां उस व्यक्ति के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित किए जाने की कोई कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी ।

खंड 21 मूल अधिनियम की धारा 31 के खंड (ङ) का लोप करने के लिए है जो सशर्त विक्रय, अवक्रय या पट्टा के संव्यवहार के लिए अधिनियम को लागू होने से अपवर्जित करना है ।

खंड 22 मूल अधिनियम की धारा 31क का संशोधन करने हेतु उपबंध करने के लिए है जो मूल अधिनियम के उपबंधों को लागू करने से बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के वर्ग या वर्गों को छूट देने के लिए यदि अधिसूचनाएं केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की जाती है तो प्रारूप अधिसूचनाएं संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के संबंध में है ।

खंड 23 मूल अधिनियम की 32 का प्रतिभूत लेनदार या रिजर्व बैंक या केन्द्रीय रजिस्ट्री या उसके किंहीं अधिकारियों द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

हेतु, संशोधन करने के लिए है ।

खंड 24 मूल अधिनियम की धारा 20क, धारा 20ख, धारा 23 और धारा 26ख के अधीन केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति का संशोधन करने हेतु उपबंध करने के लिए है ।

इस संशोधन विधयेक का अध्याय 3, बैंको और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (इस अध्याय में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) का संशोधन करने हेतु उपबंध करने के लिए है ।

खंड 25 उक्त अधिनियम में के 'ऋण प्रतिभूति', 'वित्तीय संस्था', 'संपत्ति', 'प्रतिभूति हित', 'प्रतिभूति लेनदार' आदि जैसे कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए है ।

खंड 26 ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति और पुन:नियुक्ति की आयु बढ़ाने का उपबंध करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 6 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 27 ऋण वसूली अपील अधिकरण के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति और पुन:नियुक्ति की आयु बढ़ाने का उपबंध करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 6 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 28 ऋण वसूली अपील अधिकरणों के अध्यक्षों की उसकी अधिकारिता के अधीन ऋण वसूली अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों पर साधारण अधीक्षण से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 17क का संशोधन करने के लिए है ताकि उसे ऐसे अधिकारियों के कार्य निष्पादन का निर्धारण करने के लिए सशक्त किया जा सके और उस प्रयोजन के लिए अधिकरणों को उसे ऐसे प्ररूप और ऐसे अंतरालों और ऐसे समय के भीतर इस अधिनियम और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 दोनों के अधीन लंबित मामलों की संख्या से संबंधित सूचना या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निपटाए गए मामलों की संख्या, फाइल किए गए नए मामलों की संख्या और ऐसी अन्य जानकारी जो अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझी जाए, निदेश दे सकेगा और अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के कार्य निष्पादन का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करने के लिए उनकी बैठकें भी बुला सकेगा ।

खंड 29 उक्त अधिनियम की धारा 19 का संशोधन करने के लिए है, जो अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन अधिकरणों द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया को अधिकथित करती है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि आवेदन के साथ वे सभी दस्तावेज और साक्ष्य होंगे जिन पर आवेदक त्वरित अधिनिर्णीयन और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य वसूली के लिए निर्भर करता है ।

खंड 30 उक्त अधिनियम में इलैक्ट्रानिक रूप में वसूली आवेदनों, दस्तावेजों और लिखित कथनों के फाइल किए जाने के लिए और ऋण वसूली अधिकरणों तथा ऋण वसूली अपील अधिकरणों द्वारा उनकी वेबसाइट पर अंतरिम और अंतिम आदेशों को प्रदर्शित करने के लिए नई धारा 19क अंत:स्थापित करने के लिए है ।

खंड 31 धारा 20 का संशोधन करने के लिए है ताकि उक्त अधिनियम में अपील अधिकरण में अपील फाइल करने के लिए समय को पैंतालीस दिन से घटाकर तीस दिन

किया जा सके ।

खंड 32 उक्त अधिनियम की धारा 21 का संशोधन करने के लिए है ताकि अपील फाइल करने के प्रयोजन के लिए देय ऋण की रकम के पचास प्रतिशत को जमा करने के लिए और यह उपबंध किया जा सके कि उस रकम को ऐसी रकम से कम किया जाएगा, जो इस प्रकार देय ऋण की रकम से पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

खंड 33 उक्त अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि बैंककार बहियों में किसी प्रविष्टि के सबूत के प्रयोजन के लिए, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 के उपबंध लागू होंगे ।

खंड 34 उक्त अधिनियम में नई धारा 22क का अंत:स्थापन करने के लिए है ताकि केंद्रीय सरकार को अधिकरणों और अपील अधिकरणों द्वारा उनकी कार्यवाहियों के संचालन में अनुपालन के लिए एक समान प्रक्रिया नियम अधिकथित करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

खंड 35 उक्त अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है ताकि उस संपत्ति का जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया जाता है, का कब्जा लेने और ऐसी संपत्ति के लिए और उसका विक्रय करने के लिए रिसीवर नियुक्त करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 36 उक्त अधिनियम की धारा 27 का संशोधन करने के लिए है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि पीठासीन अधिकारी रकम की वसूली के लिए समय मंजूर कर सकेगा, परंतु प्रतिवादी दावा की गई कम से कम पच्चीस प्रतिशत रकम का नकद संदाय करता है और युक्तियुक्त समय के भीतर अतिशेष का संदाय करने का अशर्त बचनबंध करता है, जो वसूली प्रमाण पत्र धारण करने वाले आवेदक बैंक या वित्तीय संस्था को स्वीकार्य है ।

खंड 37 उक्त अधिनियम की धारा 30 का संशोधन करने के लिए है ताकि प्रतिवादी/उधार लेने वालों द्वारा वसूली अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध देय ऋण के पचास प्रतिशत जमा की अपेक्षा का उपबंध किया जा सके ।

खंड 38 उक्त अधिनियम में नई धारा 31क को अंत:स्थापित करने का उपबंध करने के लिए है ताकि प्रतिभूत लेनदारों को सभी अन्य दावाकर्ताओं, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के दावे हैं, पर पूर्विकता का उपबंध किया जा सके ।

खंड 39 उक्त अधिनियम की धारा 36 का इस विधेयक द्वारा संशोधित या अंत:स्थापित उपबंधों के परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार की उक्त अधिनियम की धारा 19, धारा 19क और धारा 22क में कतिपय मामलों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 40 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 का पहली अनुसूची में यथावर्णित भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 में एक नई धारा 8च के अंत:स्थापन के लिए संशोधन करने के लिए है, जो यह उपबंध करती है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अधीन बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों में किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी जैसा कि

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (खक) में परिभाषित है, अधिकार या हितों के अंतरण या समनुदेशन के लिए करार या अन्य दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन शुल्क के दायी नहीं होंगे ।

खंड 41 निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का संशोधन करने के लिए है जैसा दूसरी अनुसूची में वर्णित है, जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 7 में नई उपधारा (1क) और उपधारा (1ख) अंत:स्थापित करने का उपबंध करने के लिए है, जो यह उपबंध करता है कि प्रत्येक निक्षेपागार, जो किसी सहभागी से सूचना प्राप्त करता है, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (खक) में यथा परिभाषित किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी के पक्ष में उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किसी बैंक या वित्तीय संस्था को वित्तीय आस्ति के साथ या उसके अंतरण या समनुदेशन के परिणामस्वरूप प्रतिभूति के अंतरण को रजिस्टर करेगा ।

यह और उपबंध करने के लिए है कि किसी सहभागी से सूचना की प्राप्ति पर प्रत्येक निक्षेपागार नए शेयरों के, यथास्थिति, किसी बैंक या वित्तीय संस्था या आस्ति पुनर्गठन कंपनी या ऐसे बैंक या वित्तीय संस्था या आस्ति पुनर्गठन कंपनी के किसी अन्य समनुदेशिती के पक्ष में उनके ऋणों के भाग को नए शेयरों में कंपनी के ऋणों के पुनर्गठन के अनुसरण में कंपनी और बैंक या वित्तीय संस्था या आस्ति पुनर्गठन कंपनी के बीच हुए करार के अनुसरण में रजिस्टर करेगा ।

वित्तीय ज्ञापन

'प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋणवसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016' नामक विधेयक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का संशोधन करने के लिए है ।

2. विधेयक, यदि अधिनियमित किया जाए, में किसी आवर्ती या अनावर्ती व्यय के अंतर्वलित होने की संभावना नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 15 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम कहा गया है) में नई धारा 20क और धारा 20ख अंत:स्थापित करने के लिए है । प्रस्तावित धारा 20क केन्द्रीय सरकार को उसकी उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट विभिन्न अधिनियमितियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों की केन्द्रीय रजिस्ट्री के साथ एकीकरण की रीति के लिए उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 16 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम की धारा 23 का, उक्त उपधारा को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित करके, संशोधन करने के लिए और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित के रूप में उपधारा (1) के पश्चात् नई उपधारा (2) और उपधारा (3) अंत:स्थापित करने के लिए है । प्रस्तावित उपधारा (3) केन्द्रीय सरकार को ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिभूति हित और फीस के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप विहित करने के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 17 नई धारा 26ख से धारा 26ड. तक अंतर्विष्ट करने वाले वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम में एक नया अध्याय 4क अंत:स्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित धारा 26ख की उपधारा (1) केन्द्रीय सरकार को उसमें विनिर्दिष्ट प्रतिभूति लेनदारों से भिन्न सभी लेनदारों को उधार लेने वाले को ऐसे लेनदार द्वारा प्रदान की गई किसी वित्तीय सहायता के शोध्य पुनर्संदाय को प्रतिभूत करने के प्रयोजन के लिए उधार लेने वाले की किसी संपत्ति पर प्रतिभूति हित के सृजन, उपांतरण या तुष्टि के संबंध में केन्द्रीय रजिस्ट्री से संबंधित अध्याय 4 के उपबंधों का अधिसूचना जारी करके विस्तार करने के लिए सशक्त करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय रजिस्ट्री में, किसी प्रतिभूति हित के सृजन, उपांतरण या तुष्टि के संव्यवहार की विशिष्टियों को फाइल करने का प्ररूप और रीति विहित करने के लिए सशक्त करती है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4) केन्द्रीय सरकार को निर्धारिती की विशिष्टियों और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से कर या अन्य सरकारी शोध्यों के ब्यौरे सहित कुर्की आदेशों के केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास फाइल किए जाने के प्ररूप और रीति के संबंध में उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (5) केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय रजिस्ट्री में संपत्ति की कुर्की के लिए किसी न्यायालय से प्राप्त कुर्की आदेशों या अन्य प्राधिकारी से अभिप्राप्त कुर्की आदेशों की विशिष्टियों को फाइल करने और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 29 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 19 का संशोधन करने के लिए है ।

इसका उपखंड (x) उक्त धारा की उपधारा (10) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि केन्द्रीय सरकार को ऐसी अवधि, जिसके भीतर लिखित कथन फाइल किया जा सकेगा, का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

इस उपखंड (xx) पूर्वोक्त धारा की उपधारा (21) को प्रतिस्थापित करने के लिए है । उक्त उपधारा (21) का उपखंड (ii) केन्द्रीय सरकार को अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए फीस का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 30 ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम में एक नई धारा 19क अंत:स्थापित करने के लिए है । प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को इलेक्ट्रानिक रूप में आवेदन, लिखित कथन या कोई अन्य अभिवचन तथा दस्तावेज फाइल करने के प्ररूप और रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है । उक्त उपधारा (1) का खंड (ख) केन्द्रीय सरकार को अभिवचनों और दस्तावेजों के अधिप्रमाणन की रीति का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4) केन्द्रीय सरकार को अधिकरण या अपील अधिकरणों द्वारा ऐसे अधिकरणों या अपील अधिकरणों की वेबसाइट पर जारी किए गए आदेशों या और निदेशों को प्रदर्शित करने की रीति का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 34 ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम में एक नई धारा 22क अंत:स्थापित करने के लिए है । प्रस्तावित धारा केन्द्रीय सरकार को अधिकरणों और अपील अधिकरणों के समक्ष कार्यवाहियां संचालित करने के लिए एक समान प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है ।

वे विषय जिनके संबंध में नियम विधेयक के पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसार बनाए जा सकेंगे, प्रकिया और ब्यौरे के विषय हैं तथा इस विधेयक में उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है ।

अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) से उद्धरण

* * * * * *

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन को विनियमित करने और उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम ।

* * * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * * *

(च) "उधार लेने वाला" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता अनुदत्त की गई है या जिसने किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा अनुदत्त वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रत्याभूति दी है या प्रतिभूति के रूप में किसी बंधक या गिरवी का सृजन किया है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी का, ऐसी वित्तीय सहायता के संबंध में किसी बैंक या वित्तीय संस्था के अधिकारों और हितों का उसके द्वारा अर्जन किए जाने के फलस्वरूप उधार लेने वाला हो जाता है ;

* * * * * *

(जक) "ऋण" का वही अर्थ है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 2 के खंड (छ) में उसका है; 1993 का 51

(झ) "ऋण वसूली अधिकरण" से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अधिकरण अभिप्रेत है; 1993 का 51

* * * * * *

(ञ) "व्यतिक्रम" से किसी उधार लेने वाले द्वारा किसी प्रतिभूत लेनदार को संदेय किसी मूल ऋण या उस पर ब्याज या किसी अन्य रकम या असंदाय अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूत लेनदार की लेखा बहियों में ऐसे उधार लेने वाले के खाते को गैर निष्पादनीय आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ;

(ट) "वित्तीय सहायता" से किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा अनुदत्त कोई उधार या अग्रिम या प्रतिश्रुत कोई डिबेंचर या बंधपत्र या दी गई कोई प्रत्याभूति या स्थापित प्रत्ययपत्र या दी गई कोई अन्य प्रत्यय सुविधा अभिप्रेत है;

* * * * * *

(प) "अर्हक संस्थागत क्रेता" से कोई वित्तीय संस्था, बीमा कंपनी, बैंक, राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, [1][न्यासी या प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी, जिसे धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है या पारस्परिक निधि की ओर से विनिधान करने वाली कोई आस्ति प्रबंध कंपनी] या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता या कोई अन्य निगम निकाय, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अभिप्रेत है ; 1992 का 15

(फ) "पुनर्गठन कंपनी" से आस्ति पुनर्गठन के प्रयोजन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी अभिप्रेत है; 1956 का 1

* * * * * *

(यक) "प्रतिभूतिकरण कंपनी" से प्रतिभूतिकरण के प्रयोजन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी अभिप्रेत है ; 1956 का 1

* * * * * *

(यच) "प्रतिभूति हित" से किसी संपत्ति पर किसी प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में सृजित किसी भी प्रकार का कोई, अधिकार, हक और हित, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उनसे भिन्न, जो धारा 31 में विनिर्दिष्ट हैं, कोई बंधक, भार, आइ-मान, समनुदेशन भी है;

* * * * * *

अध्याय 2

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन का विनियमन

प्रतिभूतिकरण कंपनियों या पुनर्गठन कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण ।

3. (1) कोई भी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी, प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन कारबार—

* * * * * *

(ख) दो करोड़ रुपए से अन्यून की स्वयं की निधि या ऐसी अन्य रकम के बिना जो प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा अर्जित या अर्जित की जाने वाली कुल वित्तीय आस्तियों के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न हो और जो रिजर्व बैंक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

प्रारंभ नहीं करेगी या नहीं चलाएगी :

परंतु रिजर्व बैंक, अधिसूचना द्वारा, प्रतिभूतिकरण कंपनियों या पुनर्गठन कंपनियों के विभिन्न वर्ग या वर्गों के लिए स्वयं की निधि की भिन्न-भिन्न रकमें विनिर्दिष्ट कर सकेगा :

परंतु यह और कि इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी ऐसे प्रारंभ से छह मास की समाप्ति के पूर्व रिजर्व बैंक को रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन करेगी और इस उपधारा में किसी बात के होते हुए भी,

उसे, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने तक या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की नामंजूरी उसे संसूचित किए जाने तक प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुंनर्गठन कारबार जारी रख सकेगी ।

* * * * * *

(3) रिजर्व बैंक, किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के, यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन के कारबार को प्रारंभ करने या चलाने के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के अभिलेख या बहियों के निरीक्षण द्वारा या अन्यथा अपना यह समाधान करने की अपेक्षा कर सकेगी कि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी गई हैं, अर्थात् :—

* * * * * *

(च) प्रायोजक, यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी की नियंत्री कंपनी नहीं है या ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी में कोई नियंत्रणकारी हित अन्यथा धारित नहीं करता है ;

* * * * * *

(6) प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी अपने प्रबंध मंडल में किसी सारवान् परिवर्तन के लिए या उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के अवस्थान परिवर्तन के लिए या उसके नाम में परिवर्तन के लिए रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी :

परंतु रिजर्व बैंक का यह विनिश्चय, कि प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के प्रबंध मंडल में परिवर्तन उसके प्रबंध मंडल में एक सारवान् परिवर्तन है या नहीं, अंतिम होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रबंध मंडल में सारवान् परिवर्तन" पद से शेयरों के अंतरण द्वारा या कंपनी के कारबार के समामेलन या अंतरण द्वारा प्रबंध मंडल में परिवर्तन अभिप्रेत है ।

* * * * * *

1956 का 1
1956 का 42
1992 का 15

7. (1) कंपनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय आस्ति के अर्जन के पश्चात् उन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार अभिदाय के लिए अर्हित संस्थागत क्रेताओं को (जन साधारण को की गई प्रस्थापना से भिन्न) प्रतिभूति रसीदों की प्रस्थापना कर सकेगी ।

प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा प्राप्तियों या निधियों की स्थापना करके प्रतिभूति का पुरोद्धरण ।

* * * * * *

9. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी, आस्ति पुनर्गठन के प्रयोजनों के लिए,

आस्ति पुनर्गठन के लिए उपाय ।

रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त विरचित मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित किसी एक या अधिक उपायों का उपबंध कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) उधार लेने वाले के कारबार के प्रबंध तंत्र में परिवर्तन या प्रबंध ग्रहण द्वारा उधार लेने वाले के कारबार का उचित प्रबंध ;

(ख) उधार लेने वाले के संपूर्ण कारबार या उसके भाग का विक्रय या पट्टा ;

(ग) उधार लेने वाले द्वारा संदेय ऋणों के संदाय का पुन:अनुसूचीकरण ;

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति हित का प्रवर्तन ;

(ङ) उधार लेने वाले द्वारा संदेय शोध्यों का परिनिर्धारण ;

(च) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेना ।

(छ) ऋण के किसी भाग का किसी उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में संपरिवर्तन :

परंतु ऋण के किसी भाग के उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में संपरिवर्तन को सदैव से ऐसे विधिमान्य समझा जाएगा मानो कि इस खंड के उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हों ।

* * * * * *

अध्याय 3

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन ।

13. (1) * * * * *

(2) जहां कोई उधार लेने वाला, जो किसी प्रतिभूति करार के अधीन किसी प्रतिभूति लेनदार के प्रति दायित्वाधीन है, प्रतिभूत ऋण या उसकी किसी किस्त के प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम करता है और उसके ऐसे ऋण से संबंधित लेखे को प्रतिभूत लेनदार द्वारा गैर निष्पादनीय आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तब प्रतिभूत लेनदार, लिखित सूचना देकर उधार लेने वाले से सूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिभूत लेनदार के प्रति उसके दायित्वों का पूर्णतया निर्वहन किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसके न होने पर प्रतिभूत लेनदार, उपधारा (4) के अधीन सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा ।

* * * * * *

(8) यदि प्रतिभूत लेनदार के शोध्य, उसके द्वारा उपगत सभी खर्चों, प्रभारों और व्ययों सहित, प्रतिभूत लेनदार को, विक्रय या अंतरण के लिए नियत तारीख के पूर्व किसी समयनिविदत्त कर दिया जाता है तो प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत आस्ति का विक्रय या अंरतण नहीं किया जाएगा और उसके द्वारा उस प्रतिभूत आस्ति के अंतरण या विक्रय के लिए कोई और कदम नहीं उठाए जाएंग ।

* * * * * *

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिभूत लेनदार की प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लेने में सहायता करना।

14. (1) जहां किसी प्रतिभूत आस्ति का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया जाना अपेक्षित है या यदि किसी प्रतिभूत आस्ति का, प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विक्रय या अंतरित किया जाना अपेक्षित है वहां प्रतिभूत लेनदार, ऐसी किसी प्रतिभूत आस्ति का कब्जा या नियंत्रण लेने के प्रयोजनार्थ, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, या जिला मजिस्ट्रेट, जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हैं या पाए जाते हैं, लिखित में उनका कब्जा लेने के लिए आवेदन कर सकेगा और, यथास्थिति, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, उसे ऐसा निवेदन किए जाने पर,—

(क) ऐसी आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा ले लेगा; और

(ख) ऐसी आस्ति और दस्तावेजों को प्रतिभूत लेनदार को अग्रेषित करेगा :

* * * * * *

परंतु यह भी कि प्रथम परंतुक में उल्लिखित शपथपत्र फाइल करने की अपेक्षा इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को, यथास्थिति, किसी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही को लागू नहीं होगी ।

* * * * * *

अपील करने का अधिकार ।

17. (1) इस अध्याय के अधीन प्रतिभूत लेनदार या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई उपाय करने से व्यथित कोई व्यक्ति (जिसमें उधार लेने वाला भी सम्मिलित है) उस तारीख से जिसको ऐसा उपाय किया गया था, पैंतालीस दिन के भीतर इस विषय में अधिकारिता रखने वाले ऋण वसूली अधिकरण ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा :

परंतु उधार लेने वाले और उधार लेने वाले से भिन्न व्यक्ति द्वारा आवेदन करने के लिए भिन्न-भिन्न फीसें विहित की जा सकेंगी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार द्वारा उधार लेने वाले को, उसके अभ्यावेदन या आक्षेप को स्वीकार न किए जाने के कारणों की संसूचना या उधार लेने वाले को कारणों की संसूचना के प्रक्रम पर प्रतिभूत लेनदारों की संभावित कार्रवाई ऐसे व्यक्ति को (जिसके अंतर्गत उधार लेने वाला भी है) इस उपधारा के अधीन ऋण वसूली अधिकरण में आवेदन करने का हकदार नहीं बनाएगी ।

* * * * * *

(3) यदि ऋण वसूली अधिकरण, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात्, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रतिभूत लेनदार द्वारा किया गया धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई उपाय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार नहीं हैं और उधार लेने वाले को कारबार के प्रबंध के प्रत्यावर्तन या उधार लेने वाले को प्रतिभूत आस्तियों के प्रत्यार्वतन की अपेक्षा करते हैं तो वह आदेश द्वारा प्रतिभूत लेनदार द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट उपायों में से किसी एक या अधिक उपायों के लिए, लिए गए

अवलंब को अविधिमान्य घोषित कर सकेगा और यथास्थिति, प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा उधार लेने वाले को प्रत्यावर्तित कर सकेगा या कारबार का प्रबंध उधार लेने वाले को प्रत्यावर्तित कर सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिए गए किसी अवलंब के संबंध में उपयुक्त और आवश्यक समझे ।

* * * * * *

प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन और प्रतिभूति हित के सृजन के संव्यवहारों का फाइल किया जाना ।

23. प्रतिभूतिकरण, आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूति हित के सृजन के प्रत्येक संव्यवहार की विशिष्टियां रजिस्ट्रार के पास ऐसी रीति में और ऐसी फीस का संदाय करने पर जो विहित की जाए, यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी या प्रतिभूत लेनदार द्वारा ऐसे प्रतिभूति के संव्यवहार या सृजन की तारीख के पश्चात् तीस दिन के भीतर फाइल की जाएंगी :

परंतु केन्द्रीय रजिस्ट्रार प्रतिभूति के ऐसे संव्यवहार या सृजन की विशिष्टियां ऐसी अतिरिक्त फीस के संदाय पर जो ऐसी फीस की रकम के दस गुना से अधिक नहीं होगी, तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अगले तीस दिन के भीतर फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूति हित के सृजन के ऐसे सभी संव्यवहारों के, जो धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की तारीख को या उसके पूर्व अस्तित्व में हैं, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण कराए जाने की अपेक्षा कर सकेगी ।

* * * * * *

रिजर्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए शास्तियां ।

28. (1) यदि कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी धारा 12 या धारा 12क के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल रहती है तो ऐसी कंपनी और कपंनी का प्रत्येक अधिकारी जिसने व्यतिक्रम किया है, जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा और अपराध चालू रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

अध्याय 6

प्रकीर्ण

कतिपय मामलों में इस अधिनियम के उपबंधों का लागू न होना ।

31. इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :—

* * * * * *

(ङ) कोई सशर्त विक्रय, अवक्रय या पट्टा या कोई अन्य संविदा जिसमें कोई प्रतिभूति हित सृजित नहीं किया गया है ;

* * * * * *

बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के किसी वर्ग या वर्गों को छूट देने की शक्ति ।

31क. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, लोकहित में, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम का कोई उपबंध,—

(क) बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के ऐसे वर्ग या वर्गों को लागू नहीं होगा ; या

(ख) बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के ऐसे वर्ग या वर्गों को ऐसे अपवादों, उपान्तरणों और अनुकूलनों सहित लागू होगा,

जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निकाले जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, प्रारूप रूप में, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना के निकाले जाने का अननुमोदन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह अधिसूचना, यथास्थिति, निकाली नहीं जाएगी या ऐसे उपांतरित रूप में निकाली जाएगी जिस पर दोनों सदन सहमत हों ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

32. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने से लोप की गई किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी प्रतिभूत लेनदार या प्रतिभूत लेनदार के किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करने वाले उसके किसी अधिकारी या प्रबंधक या उधार लेने वाले के विरुद्ध नहीं होगी ।

* * * * * *

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का अधिनियम संख्यांक 51) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

* * * * * *

(छ) "ऋण" से कोई ऐसा दायित्व (जिसके अंतर्गत ब्याज है) अभिप्रेत है जिसके बारे में किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था या बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के किसी संघ द्वारा यह दावा किया जाता है कि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बैंक या वित्तीय संस्था अथवा संघ द्वारा हाथ में लिए गए किसी कारबार-क्रियाकलाप के अनुक्रम के दौरान किसी व्यक्ति से नकदी में या अन्यथा शोध्य है, चाहे वह प्रतिभूत या अप्रतिभूत या नियत हो अथवा किसी सिविल न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश या किसी माध्यमस्थम् अधिनिर्णय या अन्यथा के अधीन अथवा किसी बंधक के अधीन संदेय हो, तथा वह आवेदन की तारीख को विद्यमान हो और वैध रूप से वसूल किए जाने योग्य हो ;

* * * * * *

पदावधि ।

6. अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि या बासठ वर्ष की आयु प्रापत कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेगा ।

* * * * * *

पदावधि ।

11. किसी अपील अधिकरण का अध्यक्ष अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेगा ।

* * * * * *

अध्याय 4

अधिकरणों की प्रक्रिया

अधिकरण को आवेदन ।

19. (1) जहां किसी बैंक या वित्तीय संस्था को किसी व्यक्ति से कोई ऋण वसूल करना है, वहां वह ऐसे अधिकरण को आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर,—

(क) प्रतिवादी या जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहां प्रत्येक प्रतिवादी, आवेदन किए जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है ; या

* * * * * *

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज या अन्य साक्ष्य तथा ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए :

परन्तु ऐसी फीस, वसूल किए जाने वाले ऋण की रकम को ध्यान में रखते हुए विहित की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि फीस के संबंध में इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अधिकरण को अंतरित मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी ।

(3क) यदि अधिकरण के समक्ष किसी ऋण की वसूली के लिए फाइल किए गए किसी आवेदन का उस अधिकरण के समक्ष सुनवाई प्रारंभ होने के पूर्व या अंतिम आदेश पारित किए जाने के पूर्व की कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर निपटारा हो जाता है, तो आवेदक को, उसके द्वारा संदत्त फीस का, ऐसी दरों पर, जो वहित की जाएं, प्रतिदाय मंजूर किया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर अधिकरण, प्रतिवादी से यह अपेक्षा करते हुए समन जारी करेगी कि वह समन की तामील किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर यह हेतुक दर्शित करे कि प्रार्थित अनुतोष क्यों न मंजूर किया जाए ।

(5) प्रतिवादी समन की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपनी प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां प्रतिवादी तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, वहां पीठासीन अधिकारी ऐसे आपवादिक मामलों में और ऐसी विशेष परिस्थितियों में, जो लेखबद्ध की जाएं, प्रतिवादी को लिखित कथन फाइल करने के लिए दो से अनधिक समय विस्तार अनुज्ञात कर सकेगा ।

(5क) आवेदन की सुनवाई प्रारंभ हो जाने के पश्चात्, यह सुनवाई की समाप्ति तक, दिन-प्रतिदिन जारी रखी जाएगी :

परंतु यदि पर्याप्त हेतुक दर्शाया जाता है तो अधिकरण स्थगन मंजूर कर सकेगा किन्तु किसी पक्षकार को ऐसा स्थगन तीन से अधिक बार मंजूर नहं किया जाएगा और जहां तीन या उससे अधिक पक्षकार हैं, वहां ऐसे स्थगनों की कुल संख्या छह से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि पीठासीन अधिकारी, ऐसे स्थगन, ऐसे खर्चे, जो आवश्यक समझे जाएं, अधिरोपित करने पर मंजूर कर सकेगा ।

(6) जहां प्रतिवादी आवेदक की मांग के विरुद्ध मुजरा करने का दावा करता है ; वहां ऐसे आवेदक से उसके द्वारा विधिक रूप से वसूल किए जाने वाले किसी धन की कोई निश्चित राशि के मुजरा करने का दावा करता है, वहां प्रतिवादी, आवेदन की पहली सुनवाई पर, किन्तु उसके पश्चात् नहीं, जब तक कि अधिकरण द्वारा उसे अनुज्ञात न किया गया हो, मुजरा किए जाने के लिए चाहे गए ऋण की विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करने वाला एक लिखित कथन प्रस्तुत कर सकेगा ।

* * * * * *

(10) आवेदकों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह प्रतिवादी के प्रतिदावे के उत्तर में लिखित तथा ऐसी अवधि के भीतर जो अधिकरण द्वारा नियत की जाए, फाइल करे ।

(11) जहां प्रतिवादी कोई प्रतिदावा उठाता है और आवेदक यह दलील देता है कि उसके द्वारा उठाए गए दावे का निपटारा प्रतिदावे के रूप में नहीं वरन् स्वतंत्र कार्यवाही के रूप में किया जाना चाहिए, वहां आवेदक प्रतिदावे के संबंध में विवाद्यकों के तय किए जाने के पूर्व किसी भी समय अधिकरण से इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि ऐसे प्रतिदावे का अपवर्जन किया जाए और अधिकरण ऐसे आवेदन की सुनवाई करने पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(12) अधिकरण प्रतिवादी को अधिकरण की पूर्व अनुज्ञा के बिना अपनी सम्पत्ति और आस्तियों का अन्तरण, अन्य संक्रामण या उसके विषय में अन्यथा व्यवहार करने या उसका व्ययन करने से उसे विवर्जित करने के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध (व्यादेश या रोक या कुर्की के रूप में) कोई अन्तरिम आदेश कर सकेगा ।

(13) (क) जहां कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर अधिकरण का शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि, प्रतिवादी ऋण की वसूली के लिए किसी आदेश जो उसके विरुद्ध पारित किया जाए, के निष्पादन को वाधित या विलम्ब करने या उसे निष्फल करने के आशय से—

(i) अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को व्यनित करने ही वाला है ; या

(ii) अपनी पूरी सम्पत्ति या उसके किसी भाग को अधिकरण की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हटा देने ही वाला है ; या

(iii) संपत्ति को नुकसान या रिष्टि करेन वाला हो या उसके दुरुपयोग द्वारा या तृतीय पक्षकार का हित सृजित करके उसके मूल्य को प्रभावित करने वाला ही है,

वहां अधिकरण, प्रतिवादी को निदेश दे सकेगा कि उस समय के भीतर जो अधिकरण द्वारा नियत किया जाएगा या तो वह उक्त सम्पत्ति को या उसके मूल्य को या उसके ऐसे भाग को जो ऋण वसूली के प्रमाणपत्र को तुष्ट करने के लिए पर्याप्त हो, अपेक्षा की जाने पर पेश करने के लिए और अधिकरण के व्ययनाधीन रखने के लिए, ऐसी राशि की जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए प्रतिभूति दे या उपसंजात हो और यह हेतुक दर्शित करे कि उसे प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए ।

* * * * * *

(14) जिस सम्पत्ति की कुर्की की अपेक्षा की गई है, उसको और उसके प्राक्कलित मूल्य को, जब तक कि प्राधिकरण अन्यथा निदिष्ट न करे, आवेदक विनिर्दिष्ट करेगा ।

(15) अधिकरण, आदेश में यह निदेश भी दे सकेगा कि उपधारा (14) में विनिर्दिष्ट की गई पूरी संपत्ति या उसके भाग की सशर्त कुर्की की जाए ।

* * * * * *

(19) जहां, वसूली का कोई प्रमाणपत्र कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी के विरुद्ध जारी किया जाता है, वहां अधिकरण ऐसी कंपनी के विक्रय आगमों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529क के उपबंधों के अनुसार उसके प्रतिभूत लेनदारों के बीच वितरण करने और अधिशेष का, यदि कोई हो, कंपनी को संदाय करने का आदेश कर सकेगा ।

(20) अधिकरण, आवेदक और प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आवेदन कर ऐसा अंतरिम या अंतिम आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ठीक समझे, जिसके अंतर्गत रकम के संदाय का उस तारीख को या उसके पूर्व की तारीख से जिसको वसूली या वास्तविक संदाय शोध्य पाया जाता है, आदेश भी है ।

(20क) जहां अधिकरण के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि आवेदक के दावे का लिखित में किए गए और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किसी ऐसे विधिपूर्ण करार या समझौते द्वारा पूर्णत: या भागत: समायोजन कर दिया गया है या जहां प्रतिवादी ने आवेदक के दावे का प्रतिसंदाय कर दिया है या प्रतिसंदाय करने का करार किया है, वहां अधिकरण दावे के ऐसे करार, समझौते या तुष्टि को लेखबद्ध करके आदेश पारित करेगा ।

(21) अधिकरण अपने द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति आवेदक और प्रतिवादी को भेजेगा ।

(22) पीठासीन अधिकारी, अधिकरण के आदेश के आधार पर अपने हस्ताक्षर सहित एक प्रमाणपत्र ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट ऋण की रकम की वसूली के लिए वसूली

अधिकारी को जारी करेगा ।

* * * * * *

(24) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अधिकरण को किए गए आवेदन के बारे में उसके द्वारा यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी और आवेदन प्राप्त करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर उसके द्वारा आवेदन को अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास किया जाएगा ।

* * * * * *

20. (1) * * * * * अपील अधिकरण को अपील ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको अधिकरण द्वारा किए गए या किए गए समझे गए किसी आदेश की प्रति उसे प्राप्त होती है, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए :

परन्तु अपील अधिकरण उक्त पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।

* * * * * *

21. जहां कोई अपील ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिससे ऋण की रकम किसी बैंक या वित्तीय संस्था को अथवा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के किसी संघ को शोध्य है वहां ऐसी अपील, अपील अधिकरण द्वारा तभी ग्रहण की जाएगी जब ऐसा व्यक्ति अपने द्वारा इस प्रकार शोध्य ऋण की रकम का, जो धारा 19 के अधीन अधिकरण द्वारा अवधारित की जाए, पचहत्तर प्रतिशत, अपील अधिकरण के पास निक्षिप्त कर देता है : अपील फाइल किए जाने पर शोध्य ऋण की रकम का निक्षेप किया जाना ।

परन्तु अपील अधिकरण, ऐसे कारणों से जो लखबद्ध किए जाएंगे, इस धारा के अधीन निक्षिप्त की जाने वाली रकम का अधित्यजन कर सकेगा या उसे बढ़ा सकेगा ।

* * * * * *

36. (1) * * * * * नियम बनाने की शक्ति ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

* * * * * *

(गग) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3क) के अधीन आवेदक को प्रतिदाय की जाने वाली फीस की दर ;

* * * * * *

GMGIPMRND—853LS(CRC)—09--05-2016.